

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 मार्च, 1991

खण्ड-1, अंक-4

अधिकृत विवरण

विशत सूची

बुधवार, 6 मार्च, 1991

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)24
आतारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)25
वैयक्तिक स्पष्टीकरण:-	
श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा	(4)32
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(4)35
वाक-आउट्स	(2)88
बैठक का स्थगन	(4)47
बैठक का पुनर्स्यगन	(4)47

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 6 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 09.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 1400

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री लछमन सिंह कम्बोज, सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, उनकी लड़की की भाादी है। अगर आपकी तरफ से किसी और को यह सवाल पूछने की इजाजत हो जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगर वह किसी को लिखकर दे गये हैं तो मुझे परपिट करने में कोई एतराज नहीं है।

श्री राम बिलास भार्मा: लिखकर तो नहीं दिया है।

डा0 हरनाम सिंह : सर, बड़ा इम्पौर्टैन्ट सवाल है। आपको परमिट कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, मैं पुरानी परम्परा को मानकर चलता हूँ। पहले यह प्रथा है कि अगर वह सदस्य किसी को लिखकर दे जाये कि मेरा सवाल कोई और पूछ सकता है तो मैं परमि तान दे देता हूँ लेकिन उन्होंने लिखकर नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कि पहले लिस्ट के दूसरे सवालों को टेक अप कर ले और अगर सारे सवाल खत्म हो जाये तो बाद में इसे टेक-अप करने की सोचेंगे।

आवाजें: ठीक है जी।

Revival of B-I Test

***1371. Shri Balbir singh Chaudhri, Shri muni lal Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the minister for irrigation and power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the govt. to revive the policy of B-I Test for the persons belonging to scheduled castes and backward classes in the state?

Home Minsiter(Prof. Sampat singh): B-I Tests have been continuing and have not been stopped, the question of reviving them, therefore, does not arise

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने नोटिस में लाना चाहता हूँ कि कुछ दिनों हसे पुलिस में बड़ा असंतोश है। गृह मंत्री, मंत्री या किन्ही खास असरदान लोगों के जो गनमैन होते है, वहीं इस टैस्ट में पास होते है, उन्हीं की प्रोमो तान होती है। योग्यता के आधार पर कोई

टैस्ट नहीं होता। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो बी-1 टैक्ट हुए हैं, वे सही हुए हैं, क्या इस किस्म की कोई रिआयत इनकी यूनियन की तरफ से आपके पास आयी है, क्या इसी रिआयत के आधार पर श्री दिलावर सिंह को टर्मिनेट किया गया है और क्या इस बारे में स्थिति को रिब्यू करेंगे ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, सवाल यह था कि क्या बी-1 टैक्ट को रिडयूल्ड कास्ट्स कैटेगरी के लिए रिवाईव किया जा रहा है। स्पीकर साहब, रिवाईव करने का प्रश्न तो तब होता है यदि इसको बन्द कर दिया गया हो। टैक्स बाकायदा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि राम बिलास जी ने अपने सवाल में थोड़ी सी पोलिटीकल बात कर दी। उनको स्पैसिफिक बात बतानी चाहिये थी। मेरे पास कोई रिआयत नहीं आयी है। बाकायदा बी-1 टैक्ट का सिस्टम बना हुआ है और उसके मुताबिक यह टैक्ट हो रहा है। जो गनमैन वी०आई०पीज० के साथ लगे हुए हैं, उनका भी बाकायदा टैक्ट होता है। उनके लिये अलग से कोई टैक्स नहीं होता है।

श्री मुनी लाल: स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह जो बी-1 टैक्ट होता है, यह किस आधार पर होता है ? जैसे भार्मा जी ने कहा है, यह बात उनकी बिल्कुल हंड्रैड परसेंट ठीक है कि सिफारिशों के आधार पर टैक्ट में लोग पास किये जाते हैं। आज तक कोई भी टैक्स सही तरीके से नहीं हुआ है।

Mr. Speaker: Don't reply yourself.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बात ऐसे है कि यह जो टैक्ट हुए है, वह सारे ही गलत हुए है, यह कहना बहुत गलत बात है। मैं तो यह कहूंगा कि वह टैक्ट बाकायदा हंड्रैड परसेंट ठीक हुए है। अगर कोई रिपोर्ट बाकायत है, वह बाकायदा हमें लिख कर बतायें, हम देखेंगे। इस प्रकार का तथ्या हीन बेबुनियाद इलजाम लगाना भाभा नहीं देता। यह केवल मात्र अपना प्रचार करने के लिये हो रहा है अदरवाईज़ इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गयी है ? अगर हां, तो इसके तहत जिन कम्युनिटीज को सहूलियत दी गयी है, उन बैकवर्ड क्लासिज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिये क्या कदम उठाए गये है ?

प्रो० सम्पत सिंह: जहां तक गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात है, वह बात अलग हैं पहले तो यह टैस्ट पास करना होता है। उसके बाद प्रोमोशन होती है। टैस्ट में किसी किस्त की रिजर्वेशन नहीं है।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बी-1 टैस्ट के अन्दर हरियाणा बनने से पहले पंजाब के अन्दर कोई रिजर्वेशन का प्रोवीजन था ? अगर था तो उसको कब और क्यों बन्द कर दिया गया ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसमें हरियाणा बनने की बात नहीं है। बी-1 टैस्ट जो होता है, उस टैस्ट में जो ऐलीजीबल लड़के होते हैं वे पास होने के बाद "सी" लिस्ट में आते हैं। उस टैस्ट में ऐलीजीबल होने के लिये तीन साल की नौकरी होनी चाहिये। "सी" लिस्ट में ऐन्ट्री होने के बाद बाकायदा रिजर्वे इन हैं। सन 1982 के अन्दर कुछ लड़के कोर्ट में भी गये थे। कोर्ट ने उनकी रिट को खारिज कर दिया कि टैक्ट के अन्दर कोई रिजर्वे इन नहीं हो सकती।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, जो रूलज पंजाब में है आमतौर पर उनको हरियाणा में फालों किया जाता है। पंजाब के अन्दर बी-1 टैस्ट में रिजर्वे इन हैं लेकिन हरियाणा में नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय, पंजाब के रूलज जिनके तहत वहां पर बी-1 टैस्ट में रिजर्वे इन हैं को हरियाणा में फालो करके बी-1 टैस्ट में रिजर्वे इन का प्रावधान करेंगे जिससे कि रिटायर्ड कास्टस के लड़के भी बी-1 टैस्ट में पास हो सकें ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले बताया है कि 1982 में इस बारे में कोर्ट में लोग गए थे। वहां पर यह केस रिजैक्ट हो गया था और बात मानी नहीं गई। स्पीकर साहब, बी-1 टैस्ट पास करने के बाद जब "सी" लिस्ट में कोई आता है तो बाकायदा प्रोमो इन में रिजर्वे इन हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि जो बी-1 टैस्ट में पास हो जाते हैं और 'सी' लिस्ट में आ जाते हैं उनको प्रोमोशन दी जाती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बी-1 टैस्ट में बैठने के लिए क्या कोई मैरिट या ऐलीजिबिलिटी है जिसके आधार पर बी-1 टैस्ट में बैठने के लिए क्या कोई मैरिट या ऐलीजिबिलिटी है जिसके आधार पर बी-1 टैस्ट में बैठा जा सकता हो ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जिसकी तीन साल की सर्विस एज ए सिपाही हो जाती है चाहे वह किसी भी कास्ट का हो वह बी-1 टैस्ट में बैठने के लिए ऐलीजिबल है।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, बी-1 टैस्ट में बैठने के लिए पंजाब में रिजर्वेशन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर रिजर्वेशन किन लाइन्ज पर है ? मंत्री महोदय ने बताया है कि 1982 में लोग कोर्ट में गए थे लेकिन केस रिजैक्ट हो गया था। क्या मंत्री महोदय, पंजाब की लाइन्ज पर रूलज को अमैन्ड करके पंजाब के पेटर्न पर बी-1 टैस्ट में रिजर्वेशन देने की कृपा करेंगे।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमें पंजाब से मतलब नहीं है कि वहां कैसे हो रहा है। मैंने तो हरियाणा के बारे में बताया है यहां बी-1 टैस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं है।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, बी-1 टैस्ट ए0 एस0 आई0 और एस0 आई0 की प्रोमोशन के लिए है। क्या मंत्री महोदय पंजाब पैटर्न पर बी-1 टैस्ट में आरक्षण की व्यवस्था करेंगे ?

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बी-1 टैस्ट, में वह बैठ सकता है जिसकी एज ए सिपाही तीन साल की सर्विस हो गई है। वह उसमें बैठने के लिए ऐलीजिबल है इररिस्पैक्टिव आफ ऐनी कास्ट। जो बी-1 टैस्ट क्वालिफाई कर लेता है वह 'सी' लिस्ट में आ जाता है।

श्री मुनी लाल: स्पीकर साहब, पंजाब में क्लास बन ओर क्लास टू में रिजर्वेशन है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब को फालो करते हुए हरियाणा में भी बी-1 टैस्ट में रिजर्वेशन दी जाएगी ?

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम हर बात में पंजाब को फालो नहीं कर सकते। आज जो हालत पंजाब में है अगर आप कहे कि हरियाणा में क्यों नहीं हैं तो स्पीकर साहब यहां तो वैसे हालात नहीं किए जा सकते।

श्री परमानन्द: स्पीकर साहब, मेरा स्पेसिफिक क्वेरी थी लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ज्वाइंट पंजाब में बी-1 टैस्ट में रिजर्वेशन थी तो वह रिजर्वेशन कब विदड्रा की गई है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमने पंजाब से क्या लेना है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में बी-1 टैस्ट में रिजर्वे इन नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रोफेसर साहब, ये पंजाब के वक्त की बात कैसे बता सकते हैं। जब पंजाब में असैम्बली आएगी तो वहाँ पूछ लेना।

डा. हरनाम सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बी-1 टैस्ट में कितने एस० सीज०, बी० सीज० और जनरल कैटेगरी के कैडीडेट्स बैठे थे और उनमें से कितने बी० सीज०, एस० सीज० और जनरल कैटेगरी के कैडीडेट्स पास हुए ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह कैसे बताया जा सकता है कि हर कैटेगरी के कितने-कितने कैडीडेट्स बैठे । जब टैस्ट होता है तो उस समय कोई कैटेगरी नहीं देखी जाती । बी-1 टैस्ट पास करने बाद जब 'सी' लिस्ट में आते हैं तो उस समय रिजर्वे इन में आते हैं ।

चौधरी सतबीर सिंह कादियान: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि प्रोमो इन में रिजर्वे इन दी जाती है अथवा नहीं ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले ही कहा है कि बी-1 टैस्ट पास करने के बाद जब कोई 'सी' लिस्ट में आता है तो प्रोमो इन में रिजर्वे इन है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि हरियाणा बनने के बाद ज्वायंट पंजाब के जो रूलज इधर इम्पीलीमेंट होते थे क्या वे रूलज अब अमन्ड हो गये हैं, अगर हो गये हैं तो कब से हुए हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, पंजाब के क्या रूलज थे उन के बारे में, मैं कैटेगोरीकली कह चुका हूँ कि मुझे पता नहीं। आज प्रैजैन्ट रूल हरियाणा प्रदे 1 के अन्दर यही है कि बी-1 टैस्ट में रिजर्वे 1 न नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि रिजर्वे 1 न का जो बैनीफिट है, वह बार बार न दिया जाए, एक ही बार दिया जाए, इसके हक में या विरोध में सरकार के पास कोई रिप्रजैन्टे 1 न आई है ? अगर कोई इस तरह की रिप्रजैन्टे 1 न आई है तो सरकार ने उस पर क्या फैसला लिया है ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई रिप्रजैन्टे 1 न हमाने पास नहीं आई है।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके, द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैडीकल कालेजिज में या इंजीनियरिंग कालेज में प्रवे 1 पाने के वक्त आरक्षण का ध्यान रखा जाता है क्या उसी प्रकार सरकार

बी-1 टैस्ट में भी ऐडमिशन के वक्त आरक्षण नीति को ध्यान में रखने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष: इसका उत्तर आ गया है। मिनिस्टर साहब ने पहले ही इसको क्लैरीफाई कर दिया है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, अगर आप कहें तो मैं इस बात को फिर एक बार क्लीयर कर देता हूँ ताकि मैम्बर साहेबान की तसल्ली हो जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरत नहीं है।

डा० हरनाम सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकारों ने अधिकार दिये हैं और सरकारें ही अधिकार लेती हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार एस०सी० व बी०सी० को इस मामले में रिजर्वेशन देने का कोई विचार रखती है ?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ यह कहा है कि बी-1 टैस्ट से रिजर्वेशन नहीं है। यह मामला पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट में गया था, वहां भी इस बात को नहीं माना गया। इनको यह पता होना चाहिये कि अब कोई 'सी' लिस्ट में आता है तो आटोमैटीकली रिजर्वेशन लागू हो जाती है। यह बड़ी सीधी सी बात है।

Mr. Speaker: Next question is in the name of shri pardeep kumar chaudhry, who is not present but he has given the authority to

shrimati kamal verma to put this question. she may, therefore, put the question.

Allotment of site for Rehri Pullers in Panchkula

***1375. shri Pardeep Kumar chaudhary:** will the minister for cooperation be pleased to state:-

(a) whether any scheme has been formulated by the Govt. for the allotment of permanent site to rehri pullers in panchkula; if so, the criteria laid down for such allotment; and

(b) whether any instances have been come to the notice of the govt. where the allotment of site has been made in violation of criteria referred to in part (a) above; if so, the number thereof togetherwith the action if any, taken in the matter.

सहकारिता मंत्री (श्री धीर पाल सिंह):

(क) नहीं । पंचकूला में रेहड़ी स्थलों का नियतन करने बारे हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रणाली के विवरण को सदन के पटल पर रखा जाता है जिसके अन्तर्गत पंचकूला में 173 स्थलों का नियतन किया जा चुका है ।

(ख) स्थलों का नियतन करने में प्रणाली की उल्लंघना में कोई विशेष उदाहरण सरकार अथवा हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण के ध्यान में नहीं आया ।

विवरण

1. प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह भारीरिक तौर पर रेहड़ी चलाने के योग्य होना चाहिए।
2. प्रार्थी के पास स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया मान्य राशन कार्ड होना चाहिए।
3. इसका नाम पंचकूला की मतदाता सूचि में होना चाहिए।
4. उस द्वारा अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम से पहले लाईसैस प्राप्त नहीं होना चाहिए।
5. रेहड़ी स्थल लाटरी द्वारा नियतित किया जाता है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुझे इनकी बात पूरी तरह से समझ ही नहीं आई कि इन्होंने क्या कहा है। मैं आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहती हूँ कि इन्होंने लोगों को लाईसैन्स देने का क्या कायटेरिया रखा हुआ है और अब तक कितने लोगों को लाईसैन्स दे दिये हैं ?

श्री धीर पास सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सारी सूचना पटल पर रखी हुई है। बहन जी पढ़ने की कृपा करें।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे-ऐसे केसिज हैं कि जो लोग चण्डीगढ़ से रहते हैं उनको भी लाईसैन्स दिये गये हैं। एक स्थल के ऊपर कहीं-कहीं दो-दो लोगों को लाईसैन्स इतने किये गये हैं। मेरे पास इसके प्रमाण हैं। अगर कई

तो मैं इनको दिखा सकती हूँ। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इन सब बातों की क्लैरीफिके ान चाहती हूँ।

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अगर बहन जी के पास कोई ि ाकायत है तो ये मुझे दे दें। 173 लाईसैन्स जो हमने दिये है उन सभी के कार्ड नं० वगैरह की सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। पूरी की पूरी डिटेल मेरे पास है। बहन जी चाहें तो मैं इन्हे दिखा भी सकता हूँ।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, 81 नम्बर पर जो आदमी है उसके अगेन्स दो लाईसैन्स इ ू हुए है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ये किसके आर्डर से दिये गये है ? मेरी नौलिज मे यह बात है कि इनके अफसर पैसे ले-ले कर के सारा काम कर रहे हैं और लाईसैन्स दे रहे है।

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, 5 नवम्बर के अखबार में भी यही द र्शाया गया था कि दो लाइसैस एक ही नम्बर के है। इसकी बाकायदा चैकिंग करवाई गई है। इससे क्लैरिकल मिस्टेक थी जिसको ठीक करवा देंगे।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे पास 17 लोगों के नाम है जो रहते तो चण्डीगढ़ में है लेकिन लाइसैस पंचकूला का ले रखा है जबकि भारत यह है कि लाइसैस लेने वाला पंचकूला का रहने वाला हो ?

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले ही कहा है कि पांच भातों के आधार पर लाइसैन्स देते है। जिन्होंने इन सभी भातों को पूर किया है केवल उन्ही को लाइसैन्स दिए गए है। आप कहे तो मै एक-एक के बारे में बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: इनका सवाल यह है कि अगर ये 17 आदमियों के नाम दे जो चण्डीगढ़ में रहते हैं तो क्या आप इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार है ?

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, सरकार इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं अगर इसमें कोई दोशी पाया जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, सीरियल न0 81 पर जो लाइसैन्स दिया गया है, क्या वह गलत नहीं पाया गया ? क्या उनका नाम और भाकल एक ही है ?

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, दो लाइसैसों का गलती से एक ही नम्बर लिख दिया गया। जैसे मैंने पहले कहा कि वह क्लैरिकल मिस्टेक है इसको ठीक कर दिया जाएगा।

Khadar Development Board

***1393. Shri yogesh chand Sharma:** Will the chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Khader Development Board in District Faridebad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid board is likely be constituted ?

राजस्व मंत्री (श्री सचदेव त्यागी)

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न ही नही उठता।

श्री योगेश चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, जब न्याय युद्ध चल रहा था तो आदरणीय मंत्री जी सोरडे गांव में टूर पर गए थे। वहां पर इन्होंने वायदा किया था कि मंत्री बनने के बाद इस एरिया का मैं समूचा विकास करवाऊंगा। वहां पर सड़के तो बहुत अच्छी बनवा दी है लेकिन असली वायदा पूरा नहीं किया है। असली वायदा इनका पुल के लिए था। इसके लिए इन्होंने दोबारा भी वायदा किया था। इसका सर्व भी हो चुका है जिसकी रिपोर्ट मेरे

पास हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका फाँउडे इन स्टोन कब तक रख दिया जाएगा ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, खादय डिवैल्पमैट बोर्ड के बारे में यह सवाल है, पुल का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक खादर विकास बोर्ड बनाने का संबंध है, यह एरिया यमुना के साथ-साथ लगता है। वहाँ के लोगों की हालत बहुत अच्छी है, वहाँ पर अंडर ग्राउंड वाटर बहुत है और जमीन भी बहुत उपजाऊ है वहाँ पर सड़के बनी हुई है, यात्रा के अच्छे साधन हैं और पीने का पानी भी उपलब्ध है। वहाँ की केवल दो समस्याएँ हैं। पहली तो यह है कि बाढ़ की वजह से जमीन का कटाव होता है। यह एक अस्थायी समस्या है क्योंकि यह केवल बाढ़ के दिनों में आती है। दूसरे बाढ़ की वजह से फसलों का नुकसान होता है। बाढ़ के बाद यह समस्या खत्म हो जाती है। बाढ़ को रोकने के लिए सरकार पहले ही प्रभावी कदम उठाती है। इसलिए वहाँ खादर विकास बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री योगे 1 चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जितना असत्य आज बोला है भायद जीवन में कभी न बोला होगा। सावन के अंधे हो हरा हो हरा दिखाइ देता है। वहाँ बीस हजार की आबादी पर न कोई डाक्टर है, न कोई हस्पताल है और न कोई स्कूल है। वहाँ पर पुल की सुविधा न होने से बहुत कठिनाई आ रही है।

Mr. Speaker: Please put a relevant question. the main question does not relate to a bridge. it relates to khadar Development Board you are a lawyer of the high court. Please read the question.

Shri Yogesh chand Sharma: Sir it does relate to khader area (Interruptions). My question much relates to that and when all developments are taking place under the khadar developments Board, then bridge also comes in that.

Mr. Speaker: Yogesh ji no, it does not relate to bridge. it only relates to khader development Board. The reply is regarding the constitution of a khadar Development Borad.

श्री योगे । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मेरा ही सवाल है और मुझे ही सप्लीमेंटरी पुल करने का मौका नहीं दिया जा रहा है । मुझे सप्लीमेंटरी पुट करने का मौका दिया जाए । (गोर)

Mr. Speaker: yogesh ji, you have been given the opportunity but you did not put a relevant question. please take your seat now.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपके फरमाया कि यह क्वै चन पुल बनाने के बारे मे नहीं है यह तो खादय डिवैल्पमैट बोर्ड गठित करने के बारे में है । यदि यह सवाल खादर डिवैल्पमैट बोर्ड गठित करने के बारे में है तो खादय डिवैल्पमैट बोर्ड के साथ वहां पर सभी विकास के कार्य संबंधित है । इसलिए यह सवाल वहां पर पुल बनाने के बारे मे भी संबंध रखता है ।

खादय डिवैल्पमैट बोर्ड के साथ वहां के विकास की सारी बातें संबंध रखती हैं।

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी, आप सवाल पूछें।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुल बनाने के बारे में तत्कालीन मुख्य मंत्री का भी वायदा किया हुआ था। इसके अलावा वहां पर पुल न होने के कारण वह एरिया ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर लोग एक टापू में रह रहे हों। वहां पर पुल के बिना वहां के लोग सारी दूसरी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं इसलिए वहां पर पुल बनाया जाना बहुत ही जरूरी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां निकट भविष्य में कब तक पुल बना दिया जाएगा ? क्या मंत्री जी इस बारे में सदन में आवासन देंगे क्योंकि इस समय वहां के लोग पुल न होने के कारण ऐसे रह रहे हैं जैसे दूसरे सूबे यू0पी0 के हो और बीच में जमुना बहती हों ?

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी आप पहले मेन सवाल पढ़ें। मेन सवाल खादर डिवैल्पमैट बोर्ड कांस्टीच्यूट करने के बारे में है पुल बनाने के बारे में नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, यदि वहां पर पुल नहीं बनेगा तो विकास के दूसरे काम कैसे हो सकते हैं। उस क्षेत्र का विकास करने के लिए ही तो खादर डिवैल्पमैट बोर्ड गठित करने की आवश्यकता है वरना उसकी क्या आवश्यकता है ?

Mr. Speaker: This is not the question. it is entirely different. फिर भी, यदि मंत्री जी इसका जवाब देना चाहे तो दे दे मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इनको तो आपके इतारे की जरूरत थी। आपने कह दिया कि यदि मंत्री जी इसका जवाब देना चाहे तो दे दे। अब इन्होंने कोई जवाब नहीं देना है।
(गोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के बारे में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने वायदा किया हुआ है यदि यह सरकार उनके वायदे को ठुकराएगी तो कैसे काम चलेगा ? वहां पर लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे किसी टापू में रह रहे हों। (गोर)

श्री योगे । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने ही सवाल दिया था और मुझे ही सप्लीमैटरी पूछने का मौका नहीं दिया जा रहा है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: भार्मा जी, पहले आप अपना सवाल पढ़ें। आप बगैर बजह से जैसे पंजाबी में कहते हैं यह बात इसमें 'धुसेड़' रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है ? (हंसी) सवाल कुछ है, पूछ कुछ रहे हैं। मेन सवाल तो स्पैसिफिकली खादर डिवैल्पतैट बोर्ड कांस्टीच्यूट करने के बारे में है। आप वहां पर खादरी डिवैल्पमैट बोर्ड कांस्टीच्यूट करने से संबंधित सवाल पूछें। But

you have-put the question regarding construction of bridge there. How is it possible to reply it?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर्ज है। इसलिए हर जिले की स्थानीय समस्याओं का समाधान वहां की प्लानिंग में गिनरी की मार्फत किया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, अगर सरकार श्री योगे । चन्द भार्मा की और सारे हाउस की भावना को समझे और उसका जवाब देने में समर्थ है तो जवाब दे दे। यह विकास की बात है किसी को व्यक्तिगत बात नहीं है और न ही नागालैंड की बात है। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्र न यह है कि क्या कभी मंत्री जी ने फरीदाबाद और पलवल के खादर एरिया को देखा है ? यदि वह उस एरिया को स्वयं देखते तो ऐसी बात नहीं कहते कि उस एरिया की स्थिति बहुत अच्छी है। मंत्री जी पानीपत में रहते हैं। वह भी खादर का एरिया है लेकिन फरीदाबाद और पलवल के खादर एरिया में काफी फर्क है। क्या मंत्री जी ने स्वयं कभी वहां जा कर उसका निरीक्षण किया है ?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म भी खादर के एरिया में ही हुआ है और और मेरा गांव भी जमुना नदी से एक

किलोमीटर की दूरी पर है। श्री योगे 1 चन्द भार्मा और गुप्ता जी खादर के एरिया से दूर रहते होंगे। मैं खादर के एरिया में ही जन्मा पला हूँ और वहाँ पर खेती करता हूँ। जिस खादर एरिया की बात आप लोग कर रहे हैं मुझे उस एरिया के बारे में अच्छी तरह से पता है। वह एरिया भी मैंने स्वयं देखा है। हरियाणा के और एरियाज को देखते हुए वहाँ पर आमदनी के साधन ज्यादा है।

श्री बनारसी दास गुप्त: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद और पलवल के खादर एरिया में और पानीपत के खादर एरिया में दिन रात का अन्तर है। अगर आप उसको देखें तो मैं समझता हूँ हरियाणा में उससे बुरी हालत किसी और एरिया की नहीं है।

श्री योगे 1 चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने कहा कि मैं खादर एरिया में ही रह रहा हूँ योगे 1 चन्द भार्मा खादर के एरिया से दूर रहते होंगे। स्पीकर साहब, वहाँ पर 6 महीने तक रास्ता ब्लॉक रहता है वहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं होता। जब श्री किरपा राम पुनिया मंत्री थे तो ये उस एरिया में गए थे और एक नाव में गुम हो गए थे सरकार ने इनकी बड़ी देखभाल की। (हंसी) स्पीकर साहब उस एरिया की समस्या को देखते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने वहाँ पर पुल बनाने का वायदा किया था। और कहा था कि वहाँ पर पुल का निर्माण करवाया जाएगा। इस क्षेत्र का समुचित विकास करेंगे। उस समय मुख्य मंत्री जी ने समुचित भाव पर बड़ा जोर दे कर कहा था।

यह सरकार उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। पुनिया साहब उस क्षेत्र को देख कर आए थे।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, यह सही है कि फरीदाबाद जिले के खादर एरिया का जितना तजुर्बा मुझे है उतना भायद इस हाउस के किसी और मैम्बर को नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय यह भी सही है कि फरीदाबाद जिले के खादर एरिया की हालत बहुत ही खराब है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या खादर एरिया डिवैल्पमैट बोर्ड बनाने की सरकार की योजना है या नहीं ?

श्री सचदेव त्यागी: अध्यक्ष महोदय, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्ज हैं। वहां की स्थानीय समस्याएं वहां पर निपटाई जाती हैं। अगर इस तरह से सरकार बोर्ड बनाने लगी तो बहुत सारे बोर्ड बनाने पड़ेगे। जैसे मोरनी हल्का है, वह भी पिछड़ा हुआ है या राजस्थान के साथ हमारा लगता हुआ जो एरिया है वहा भा पिछड़ा हुआ है इसी प्रकार से और बहुत सारे इलाके पिछड़े हुए हैं। अगर इस तरह से बोर्ड बनाने लगे तो गांव-गांव में बोर्ड बनाने होंगे इसलिए यह बोर्ड बनाना संभव नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि वहां पर स्थानीय समस्याएं वहां के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर्ज द्वारा दूर की जाती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि

क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि वहां की मूल समस्या के क्या कारण हैं और उनका समाधान करने के लिए क्या कोशिश की है ?

श्री सचदेव त्यागी: सभी समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाती है और हमें सारे हरियाणा की समस्याओं का ज्ञान है।

डा० बृज मोहन गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि छछरौली हल्के में जो खादार का एरिया है उसमें छछरौली हल्के के 5 गांव जमुना के बीच में पड़ते हैं। वहां पर भी लोगों की बहुत भारी समस्या है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां के लिए भी खादार एरिया डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया जायेगा ?

श्री सचदेव त्याग: हर जगह अलग अलग बोर्ड बनाना संभव नहीं है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या खादार एरिया डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया जायेगा या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, मूल सवाल यह था कि क्या खादार एरिया डिवैल्पमेंट बोर्ड बनेगा या नहीं ? उसका जवाब मंत्री महोदय ने स्पष्ट दे दिया है कि ऐसा बोर्ड बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। श्री योगेश जी ने

एक बात यह कही कि पुनिया साहब गुम हो गए, मैं इन्हे बताना चाहूंगा कि पुनिया साहब तो यहीं पर बैठे हैं। कहीं गुम नहीं हुए हैं। यह ठीक है कि जब जमुना में बाढ़ आती है तो वहां पर आने जाने की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। योगे जी ने एक बात यह कही कि मंत्री महोदय ने खादर का एरिया नहीं देखा। मैं इन्हे बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय तो ऐन खादर के बीच में रहते हैं

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि क्या वहां पर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया है या नहीं ?

Mr. Speaker: This does not relate to main question
Next question please.

Agra Canal

***1377 Shri udai Bhan, Shri Bhagwan Sahai Rawat:**

Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state the steps so far taken or proposed to be taken to take over the control of agra canal?

गृह मंत्री(प्रो० सम्पत सिंह): आगरा नहर प्रणाली हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र की सिंचाई करती है। हरियाणा सरकार प्रयत्न कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार आगरा नहर प्रणाली की 11 नहरों का प्रासन्निक नियन्त्रण जो हरियाणा की सिंचाई करती है, स्थानान्तरण कर दे।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, पिछले पौने चार साल से हर सै ान में और हर मंच हम यह सवाल उठाते रहे है कि हमारी इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाये लेकिन सरकार की और से कोई कार्यवाही नहीं की गई लगती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कोई पत्र व्यवहार किया है और क्या मंत्री महोदय ने अपने स्तर पर कोई खतो किताबत वहां के मंत्री के साथ की है ? अगर ऐसा कोई पत्र व्यवहार उनके साथ हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछले चार साल से ही नहीं बल्कि 1962 से चला आ रहा है। यह मामला ज्वायंट पंजाब के अन्दर भी उठाया गया था और उस समय भी पंजाब के इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर ने यू०पी० के चीफ मिनिस्टर के साथ पत्र व्यवहार किया था। यह मामला स्टेट और इन्टर स्टेट लैवल पर कई बार उठ चुका है। सैन्टर के साथ दोनों स्टेटों की भी मीटिंग हो चुकी है। 1973 में यूनियन ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यू०पी० और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्ज के साथ भी मीटिंग की थी। स्पीकर साहब, 8 डिस्ट्रिक्टरीज और चैनल ऐसे है जिनमे यू०पी० का हिस्सा नहीं हैं। हरियाणा में 3 चैनल्ज ऐसे है जिनकी थोड़ी बहुत टेल हरियाणा में पड़ती है। हमारी यह कोर्ि ा है कि इस डिस्ट्रिक्टरीज और चैनल्ज को हरियाणा को सौप दिया जाए। उनके साथ हमारी मीटिंगें चलती रही है। इस के

लिए 6.5.1989 को हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने यू0पी0 के चीफ मिनिस्टर के साथ लखनऊ में मीटिंग की और सैकेटरी लैवर तक भी इसको फालो-अप किया गया और 6.5.1989 को फिर मीटिंग हुई। हरियाणा गवर्नमैट ने इनका कन्ट्रोल लेने के लिए यू0पी0 सरकार से विचार विमर्श किया। यू0पी0 गवर्नमैट ने कहा कि 11 चैनल्ज पर जो खर्च हुआ है तथा जो पानी का आबियाना है वह और साथ में जो खर्च हुआ है उसको हरियाणा कम्पनसेट कर दे तो वह कन्ट्रोल सौपने के बारे में कन्सीडर कर सकते हैं। यह नहीं कहा कि कन्ट्रोल सौप देगे केवल कन्सीडर करने को कहा है। उस समय की बनी हुई नहरों का जो पानी इस्तेमाल हो चुका है उसका आबियाना और कम्पनसेटान तो कई करोड़ों रुपये बनता है जो कि देना सम्भव नहीं है। 17.12.1990 को हरियाणा के मुख्य मंत्री ने यू0पी0 के मुख्य मंत्री को फिर पत्र लिखा है कि मीटिंग करके इस समस्या का कोई हल निकाला जाए क्योंकि इससे हरियाणा को बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आगरा नहर के कारण फरीदाबाद जिला और गुडगांव जिला के लोगों को बड़ी परेशानी है और उसका आबियाना उत्तर प्रदेश के किसानों से ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आगरा नहर से हरियाणा के किसानों का आबियाना क्या है, क्या उसमें कोई ऐनोमली है या कोई अन्तर है अगर है तो क्या उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह: अन्तर ओर समस्या तो स्पीकर साहब है, औरा इसको दूर करने के लिए हरियाणा सरकार 1962 से लगातार संघर्ष कर रही है ताकि किसी तरह से यह कन्ट्रोल हमें मिल जाए। स्पीकर सर, सबसे बड़ी परे गानी तो यह है कि आबियाने की अदायगी के लिए या किसी और दफतर के काम के लिए हरियाणास के किसानों को आगरा जाना पड़ता है क्योंकि सारे दफतर के काम के लिए हरियाणा के किसानों को आगरा जाना पड़ता है क्योंकि सारे दफतर यू०पी० में है। दूसरी तरफ समस्या यह है कि आबियानेकी दरों में भी भारी अन्तर हैं। अगर हरियाणा के दरों पर आबियाना लगाया जाये तो 20 लाख रूपये हर साल बनता है और यू०पी० के हिसाब से 56 लाख रूपये पड़ रहा है। खरीफ का डबल और रबी का 3.5 टाई म ज्यादा आबियाना यू०पी० सरकार ले रही है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने किसानों की कठिनाईयों को जिक करते हुए बताया है कि किस प्रकार आगरा कैनाल के लिए 1962 से हरियाणा द्वारा संघर्ष किया जा रहा है लेकिन समस्या ज्यो-की-त्यो हुई है और कोई प्रगति नहीं हुई है यानि पतनाला नहीं का वहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा और जब तक यह समस्या हल नहीं होती तब तक किसानों को यू०पी० में दफतर के कार्य से न जाना पड़े क्या इसके लिए

किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो कि पूरी जांच पड़ताल कर किसानों की समस्या को सुलझाए ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, झगड़ा तो इसी बात का है कि इन का ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल हमारे पास नहीं है। जहां तक किसी अधिकारी को डिप्यूट करने का सम्बन्ध है, हमारा अधिकारी तो कोई नियुक्त नहीं किया हुआ है। इस समस्या का हल तो तभी हो सकता है जब कि इनका ऐडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल हमारे हाथ में आए। अगर वहां की कोई भी कम्प्लेन्ट होती है तो हरियाणा सरकार गुड आफिसिज के साथ राबता कायम करके समस्या को हल करवाने का प्रयत्न करती है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, आगरा कैनल की 11 चैनल्ज हैं जिन से सिंचाई होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आगरा कैनल से कुल कितनेम रकबे की सिंचाई हो रही है। और कुल कितना रकबा है जिसकी सिंचाई होनी चाहिए ? जिस रकबे की सिंचाई नहीं हो रही क्या सरकार उसकी सिंचाई के लिए कोई योजना बना रही है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंचाई के लिए कोई योजना होनी चाहिए। उदय भान जी ने यह जो बात कही है कि कितने रकबे की सिंचाई होती है, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब तक हरियाणा को

एम0वाई0एल0 का पानी नहीं मिल जाता तब तक टोटल सिंचाई होना मुश्किल है। आगरा कैनल से कुल 80 हजार एकड़ में पानी लगता है। अगर एस0वाई0एल0 नहर का पानी हमें मिल जाता है तो इससे हमारी आबपा भी बढ़ जाएगी और जो टोटल एरिया इसके नीचे आना चाहिये वहा 1,47,416 एकड़ है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जवाब देते हुए अभी एक बात कही है कि सन 1973 में एक बैठक हुई थी उस बैठक में मैं हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भागमिल हुआ था। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि उस बैठक में जो निर्णय लिये गये थे, क्या वह लागू हो गये हैं या नहीं हुए हैं ? अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह: यही तो मैं कह रहा हूँ कि लागू हुए हैं। यू०पी० सरकार मानती नहीं है। इसी लिए उनसे बार-बार मीटिंग कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: वह निर्णय उनकी सहमति से हुए थे।

Mr. Speaker: Gupta ji, you please take your seat. Hon'ble chief Minister is on his legs.

मुख्यमंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने अभी ठीक जवाब दिया है। गुप्ता जी ने कहा कि जब 1973 में मीटिंग हुई थी तो यह हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भागमिल

हुए थे। गुप्ता जी तो हरियाणा जब से बना है तब से ही लेकर कभी मंत्री, कभी मुख्य मंत्री रहे हैं। ये कभी कांग्रेस से, कभी जनता दल से तो कभी लोक दल से बनते आये हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने यह मसला क्यों हल नहीं कर दिया था ? अध्यक्ष महोदय, जो खतो किताबत हुई है, वह बड़ी तफसील के साथ बता दी गयी है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं यह पूछ रहा था कि उस निर्णय को लागू क्यों नहीं कर पाये ?

श्री हुकम सिंह: आप भी चीफ मिनिस्टर रहे हो। आपको सारी बात पता है। जो बात थी तफसील के साथ वह सारी बता दी गयी है। लेकिन आपने यह समस्या हल क्यों नहीं कर दी थी ?

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अभी सवाल का जवाब दिया है कि यू०पी० की सरकार मान नहीं रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा में भी, यू०पी० में भी और केन्द्र में भी एक ही पार्टी की सरकार है। तीनों जगहों पर ही एक पार्टी की सरकार होते हुए क्या इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई हल निकाला जायेगा ? दूसरा सवाल यह है कि जो यमुना के अन्दर हमारा बकाया पानी का हिस्सा है, उसको लेने के लिये यू०पी० के साथ कोई बात की जाएगी ओर क्या उस पानी को लेने के लिए कोई न्याय-युद्ध चलाने की बात करेंगे? (विध्वन)
स्पीकर साहब, एस०वाई०एल० की बात तो बहुत की जाती है कि

उसका पानी आयेगा तो हरियाणा में यह हो जायेगा, वह हो जायेगा। लेकिन क्या यमुना का पानी लेने के लिए भी कुछ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: यह तो आगरा कैनल की बात है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यमुना का पानी आगरा कैनल में आता है। क्या यह उस पानी को लेने के लिये कोई कोर्िया करेगें। (व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब एस०वाई०एल० कैनल के बनवाने के लिये संघर्ष चल रहा था उस समय टोहाना में इस कामरेड ने पर्चे बंटवाये थे कि इसके लिये क्यों लड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो। इसके बदल में यमुना का पानी लिया जा सकता है। यमुना का तो हमें पूरा पानी मिल रहा है। (व्यवधान व भाोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अगर हरियाणा के रेट्स के हिसाब से आवियाना लिया जाये तो 20 लाख रूपया बनता है और अगर यू०पी० के रेट्स के हिसाब से लिया जाये तो 56 लाख रूपये बनता है, हरियाणा के किसानों को यह जो अधिक 36 लाख रूपया देना पड़ता है या जो यह पैसा उगाहया जा रहा है, क्या मंत्री जी य बतायेगें कि सरकारी तौर पर इसको सबसीडाईज करने की कोई

योजना बनायी हुई है, अगर नहीं तो क्या आगे के लिये इस पर विचार करेंगे?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हमारे यहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Earth work on Roads

***1396. Rao Ram Narain:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state:-

(a) whether earth work has been done on the following roads:-

(a) Rattanthal to Hansawas;

(b) shaam Nagar to Bhurthaia;

(c) sham Nagar to Tumna;

(d) Raising of the road in village gamri (Nehurgarh); and

(b)if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be completed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) जी हां, भाम नगर से तुमना रोड़ के 200 मीटर के टुकड़े को छोड़ कर।

(ख) गांव गामड़ी की सड़क को ऊचा करने का कार्य जून, 1991 तक पूरा हो जायेगा।

बाकी तीन सड़को को पूरा करने का कार्य धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया है कि अर्थ वर्क पूरा हो चुका है लेकिन इसको पक्का नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आने वाली बरसात में सारा अर्थ वर्क वा आउट हो जाएगा और फिर अर्थ वर्क दुबारा करना पड़ेगा और खर्च ज्यादा होगा। मंत्री जी ने कहा है कि सड़क को पूरा करने का कार्य धन की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़को को जल्दी पूरा किया जाएगा जिससे कि खर्च किया हुआ पैसा बरसात की वजह से बेकार न चला जाए ?

श्री जगत नाथ: स्पीकर साहब, इस वित्तीय वर्ष में सड़को के लिए हमारे पास 6.40 करोड़ रुपए का प्रावधान था। इस 6.40 करोड़ रुपए में से चालीस लाख का कट लग गया। बाकी छः करोड़ रुपया बचा और इन छः करोड़ में नब्बे हल्को में सड़के बनानी हैं। कहीं पर अर्थ वर्क हो चुका है। कहीं पर सोलिंग हो चुकी है और कहीं पर मैटलिंग वर्क हो चुका है। सारा काम धीरे धीरे हो रहा है। वित्तीय विभाग जैसे जैसे पैसा देता जाएगा वैसे-वैसे हम काम करते जाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: मंत्री जी ने बताया है कि धन की कमी है, इस कारण सड़के पूरी नहीं हो रही है। क्या मंत्री महोदय

बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सड़के अधूरी पड़ी है सरकार उनको पहले पूरा करे और बाद में नई सड़को का काम हाथ में ले ?

मुख्य मंत्री (श्री हुक्म सिंह): स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जो सड़के अधूरी है, हम पहले उनको लेंगे और बाद में दूसरी सड़के अधूरी है, हम पहले उनको लेंगे और बाद में दूसरी सड़को को लेंगे।

कैप्टल अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि रतनथल से हंसावास तक सड़क पर अर्थ वर्क पूरा हो चुका है लेकिन मैंने वहां खुद जाकर देखा है कि वहां पर रोड़ी पड़ चुकी है। क्या मंत्री महोदय इस सड़क को जल्दी पूरा करवाने की कृपा करेंगे।

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, रतनथल से हंसावास तक की 3.20 किलोमीटर की जो सड़क है, उस पर मिट्टी का काम पूरा हो चुका है और सोलिंग का काम भी पूरा हो चुका है तथा एक किलोमीटर तक मैटलिंग भी हो चुकी है।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि पैसे की कमी के कारण सड़को का काम पूरा नहीं हो रहा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में जो दड़बाकलां का उप चुनाव हुआ था, वहां पर हरियाणा की कितनी सड़को का मैटिरियल ले जाया गया था ?

श्री जगन नाथ: इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

श्री मुनी लाल: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव में पचास प्रति मीटर बी०सी० और एस०सी० रहते हैं, क्या उस गांव की सड़क को बनाने में प्रैफेस दिया जाएगा ?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, हम जाति या धर्म के नाम पर कोई सड़क नहीं बनवाते।

Breach in Yamuna Dam

***1382. Shri Mahender partap singh:** Will the minister for Irrigation & power be pleased to state:-

(a) whether the Government is aware of the fact that the breach occurred in the Yamuna Dam of villages lalpur and sherpur kerawala of faridabad block due to floods during the year 1988-89 and 1989-90; and

(b) if so, the details of the damages caused there from and the relief, if any, given therefor?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988 की बाढ़ के दौरान, लालपुर गांव के नजदीक यमुना नदी के साथ इम्बैकमैट में लगभग 750 मीटर लम्बी कट हुई थी। गांव दादसीया, भोरपुर व लालपुर में तीन एकड़ भूमि में कटाव हुआ और 80 मकानों को क्षति हुई।

वर्ष 1989 की बाढ़ के दौरान भोरपुर, किरावली (किदावली) गांव के नजदीक इमबैकमैट में लगभग 600 मीटर लम्बा कटाव हुआ और स्टोन स्टैंड भी वह गए। गांव भोरपुर किदावली की 200 एकड़ भूमि में कटाव हुआ।

मकानों को हुई क्षति की मुरम्मत के लिए और बाढ़ सहायता के रूप में 32000 रुपये दिये गये।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, पहले तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा सवाल के बारे में आप से रोश प्रकट करूँ कि जो मैंने सवाल दिया उस सवाल की भावना ही बदल दी। मैंने सवाल में टूटना भाब्द लिखा था लेकिन उसको टूटने के बजाय कट दरार भाब्द लिख दिया। स्पीकर साहब, दो साल से लगातार दोनों जगह बांध टूट रहे हैं लेकिन इन्होंने उसकी जगह दरार भाब्द लिख दिया है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 750 मीटर लम्बी कट हुई थी। दूसरी जगह पर लिखा है कि भोरपुर किदावली को 200 एकड़ भूमि में कटाव हुआ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह 2.00 एकड़ है 200 एकड़ नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, हिन्दी पो र्नि में छपने में गलती रह गई है, अंग्रेजी में ठीक है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मेरे पास जो जवाब है उसमें 200 एकड़ ही है। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि यह 2.00 एकड़ है। छपने में गलती हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं

मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि दोनो गांवों की तकरीबन सात-सात हजार एकड़ भूति की फसल बिल्कुल तबाह हो गई लेकिन सरकार ने फसल की तबाही का कोई ब्यौरा नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, दोनो जगहों पर बांध टूट गए है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से ओलावृष्टि होने पर किसान को मुआवजा दिया जाता है उसी तरह से इन किसानो को उनको मुआवजा दिया जाएगा ? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या उन दोनों जगहों पर बांध की मरम्मत की गई है या वे वैसे ही पड़ी है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसके लिए बाकायदा पैसे का प्रोवीजन किया गया था लेकिन जहां बांध कटे और दोबारा बांध बने, उसके लिये जमीन चाहिये जोकि हमें किसान दे नहीं रहे है। इस के लिये हमने बार-बारे प्रयास भी किये है। अगर चौधरी महेन्द्रप्रताप सिंह जी अपने गु ड आफिस, अपने रसूख से हमें जमीन दिलवा दे तो हम इसी साल उस बांध को भी पूरा करवा देंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैने पिछली बार भी यह कहा था और जिला स्तर पर सब लोगों ने इस बारे में यह कहा था कि हमें जमीन देने में कोई एतराज नहीं है। लोगों ने कहा कि सरकार जहां भी चाहे, हम जमीन दे देगे लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार चाहे हमारी जमीनों का मुआवजा हमें बाद में दे लेकिन बांध अब य बनना चाहिये।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हू कि मैं उनके साथ चलता हू। वे मेरे साथ चलके बातचीत करे। लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हू कि जहां पर सात-सात हजार एकड़ भूमि में फसल का लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिये अभी तक लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है हांलाकि वहां पर स्पै राल गिरदावरी भी हो चुकी है इसलिये लोगों की क्षतिपूर्ति के लिये उनको इस खराबे के लिये मुआवजा दिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, क्या यह लोगों पर प्राकृतिक प्रकोप नहीं है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जहां ओलावृष्टि से नुकसान होता है, उसमें हम मुआवजा देते हैं और जहां फसल नष्ट हुई है, उसके लिये सरकार के पास मुआवजा देने का कोई प्रोवीजन नहीं है। जहां तक महेन्द्र प्रताप सिंह जी के साथ जाने का संबंध है, ये अपने लेवल पर कोई तारीख निश्चित कर ले, मुझे इनके साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं है। ये अपनी कंबीनियैन्स को देख ले। मैं इनके साथ जाऊंगा और लोगों की बातें सुनने के बाद उनकी दिक्कतों को हम दूर करेंगे और बांध बनवाएंगे।

श्री महेन्द्रप्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, ओलों के कारण छः मास की फसल नष्ट हो जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रकोप ही कहते हैं और बाढ़ के कारण जिनकी फसल नष्ट हो जाती है वह भी प्राकृतिक प्रकोप ही है इसके लिये सरकार को प्रावधान रखना

चाहिए? दोनों की किस्म अलग अलग है लेकिन बरवादियों दोनों में ही है। ओलों के कारण तो कहीं 25 परसेन्ट कहीं 50 परसेन्ट का नुकसान होता है लेकिन बाढ़ के कारण तो सारी की सारी फसले ही नष्ट हो जाती है। इसलिये स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह रिकवैस्ट करूंगा कि सरकार मेरे इस सुझाव पर अवय विचार करे औरह जिन लोगों की फसलों की तबाही हुई है, उनकी अवय मदद की जाए।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जो नुकसान होता है वव धन से पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार की कोशिश है कि आइन्दा इस प्रकार का नुकसान न हो और इसके लिये हमने इनसे प्रोमिज भी किया है।

डा० हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, नुकसान तो यमुना के किनारे हर जगह हुआ है। मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि वहां पर बांध बनाने के लिये लोग जमीन नहीं देते। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने कभी फलड कन्ट्रोल के लिए बांध बनाने के लिये या ड्रेनज बनाने के लिये कोई पैसा दिया है या फिर सरकार पैसा न होने की बजह से बहाने ही बना रही है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, बाकयदा पैसे का प्रोवीजन है। अगर वे जगह दिलवा देंगे तो हम उसको इस साल कम्पलीट करवा देंगे।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सत्य है कि जब-जब भी यमुना नदी में बाढ़ आती है तो हरियाणा प्रदेश में लगे स्टड और बांध टूट जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यू०पी० सरकार द्वारा जो स्टड बनाए गए हैं वे बहुत मजबूत और लम्बे हैं। वे नार्म से हट कर बनाए गए हैं। इस बजह से हरियाणा के स्टड टूट जाते हैं और हमारा नुकसान होता है। इस वजह से हरियाणा के स्टड टूट जाते हैं और हमारा नुकसान होता है। क्या हरियाणा सरकार ने यू०पी० सरकार को उसके स्टड नार्म के अनुसार बनाने की कमी बात चलाई है ताकि हरियाणा की तरफ कटाव न बढ़े ?

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कटारिया साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो कारण इन्होंने बताया है, उस बजह से हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा है। यू०पी० वालों ने नार्म से हट कर अपने स्टड बनाए हुए हैं। उनके स्टड दो सौ फीट तक लंबे हैं जबकि नार्म के अनुसार इनकी लंबाई 45-50 फीट होनी चाहिए। उस बजह से पानी का रूख हमारी तरफ हो जाता है। इस बारे में हम बार-बार यू०पी० सरकार से कह चुके हैं और यमुना कमेटी के सामने भी यह सवाल उठा चुके हैं कि इस तरह न किया जाए।

डा० रघुवीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनवरी, फरवरी, 1990 में जब सिरसा ब्रांच के अन्दर गांव गोची में ब्रीच हुआ था।

श्री अध्यक्ष: यह बताना पौसिबल नहीं है। आप मेर सवाल के बारे पूछ सकते है।

डा० रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मेरा सवाल उस गांव से संबंधित है जहां झोटे के सर पर लोक दल का झंडा बांध कर जलसे में भेज दिया गया था....

Mr. Speaker: Doctor sahib, I am sorry, this supplementary does not relate to this question.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय हमारे किसानों के सिवाए कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी अभी तसल्ली नहीं हुई है। इसलिये मैं खास तौर से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा क्योंकि मंत्री जी तो कह देते हैं कि ऐसा प्रावधान नहीं है। मंत्री जी ने वहां आने के लिये कहा है, मैं इनका भानिवार को वहां पर इन्तजार करूंगा। लेकिन क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि यह दोहरा माप दंड क्यों अपनाया गया है ? इससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। क्या इसको देखते हुए उनको कुछ मुआवजा देगे?

प्र० सम्पत सिंह: भानिवार को नहीं, सै उन के बाद आरूंगा।

मुख्यमंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, यह तो मिनिस्टर साहब वि वास दिला चुके हैं कि जगह दिलवा दे हम उसे इसी सल कम्पलीट करवा देंगे। अब सवाल यह है कि बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, 1966 में हरियाणा बना था और तब से भाई महेंद्र प्रताप सिंह की काफी समय तक रही। उसके बाद चौधरी देवी

लाल की सरकार आई। उन्होंने ओला वृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देना भुरु किया। जब इनकी सरकार थी, उस समय भी बाढ़ के मुआवजे की बात हो सकती थी लेकिन आज ही इनको सारी बातें कैसे याद आ गई ? (विघ्न)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: फिर उस एरिया की स्पै गल गिरदावरी क्या लोगों की आंखों में धूल डालने के लिये की गई थी ? (गोर)

Mr. Speaker: Please take your seat. Next Question please.

तारांकित प्र न संख्या 1398

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री देवी दास, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 1424

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री भगवान सहाय रावत, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Rangoi Drain

***1406. shri Atma Singh Gill:** will the minister for Irrigation and power be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that sanction has been accorded for the construction of rangoi Drain of jakhal : and

(b) if so, the time by which the construction is likely to be started thereon?

गृहमंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) जी हां।

(ख) कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के बारे में अखबारों के अन्दर यह खर्चा आती रही है कि ड्रेनेज डिपार्टमेंट में करोड़ों रूपए का घोटाला हुआ है ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, स्टेट गवर्नमेंट अपाका काम पैसे से चलाती है। यदि प्रदेश में ज्यादा बाढ़ आ जाए और उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखती हैं। वर्ष 1988 में जो फ्लड आया था, उससे हरियाणा प्रदेश के अन्दर बड़ी तबाही हुई थी। हमारी नहरें भी काफी टूट गई थी नाले भी टूट गए थे, पुल भी पानी में वह गए थे और सड़के भी काफी टूट गई थी। उस समय हमें केन्द्रीय सरकार की ओर से 12 करोड़ 22 लाख रूपए की सहायता मिली थी। माननीय सदस्य श्री उदय भान जी ने यह पूछा है कि क्या ड्रेनेज डिपार्टमेंट में कोई घोटाला हुआ है? इससे कोई दो राय नहीं है कि उसमें घोटाला हुआ है। हरियाणा सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से 29 मार्च, 1989 को सहायता के रूप में 239 लाख रूपए मिले थे। उसी कैनल सर्कल में पहले भी थोड़ा

सा जो पैसा था उसको मिलना कर टोटल 3 करोड़ 97 लाख रुपए बनता था। यह सारा पैसा लगभग तीन दिन के अन्दर ही खर्च हुआ है। उस समय पता नहीं कितनी ऐफी एंसी थी कि 29 मार्च से 31 मार्च तक 3 करोड़ 97 लाख रुपया खर्च हो गया। उसके लिये बाकायदा विजिलैस इन्कवायरी चल रही है। केस रजिस्टर हुआ है और कई मुलाजिमों को सस्पेंड भी किया गया है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, इतनी भारी रकम केवल तीन दिन में ही खर्च कर दी गई और इस बारे में मंत्री जी ने यह कहा है कि उसकी विजिलैस इन्कवायरी चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस इन्कवायरी को कम्प्लीट होने में कितना समय लगेगा और क्या उस घोटाले में कोई उस समय का मंत्री भी शामिल था ?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक का कन्सर्न है क्योंकि इसमें चार करोड़ रुपए के लगभग पैसा इनवाल्ड है। पहले तो इस बारे में प्रिलिमिनरी इन्कवायरी हुई। फिर उसके बाद यह केस इन्कवायरी के लिए विजिलैस को दिया गया है उन्होंने इस बारे में केस रजिस्टर किया। इस मामले में कई आफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया और कुछ को चार्ज शीट किया गया। इस समय केस चूँकि चालान की स्टेज पर है, इसलिए इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने यह भी पूरा है कि क्या इस घोटाले में उस समय का कोई मंत्री भी शामिल है? मैं आपके माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा घोटाला बड़े-बड़े आदमियों के बगैर नहीं हुआ करता। (गोर)

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र न का लिखित उत्तर

Plying of Buses in the state

***1414. Shri Durga Dutt Attri:** Will the Minister of state for transport be pleased to state:-

(a) the number of buses of Haryana Roadways plying in the state as at present; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to ply more buses to mitigate the transportation problem , if any, being faced by the people in the state ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक)

(क) 3531, 31 जनवरी, 1991 को।

(ख) जी हां।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Revenue block at loharw

244. Shri Hira Nand Arya: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Construct a Revenue block in sub Divisional complex at loharu ?

राजस्व मंत्री (श्री सचदेव त्यागी): जी हां, लोहारु में उप-मण्डल संव्यूह बनाया जाएगा, जिसमें राजस्व कार्यालय भी शामिल होंगे।

Fire Arms issued out of Discretionary Quota

233. Comrada Harpal Singh: will the Minister for irrigation and power be pleased to state the names and addresses of persons to whom the fire arms have been issued out of the discretionary quota of the chief Minister during the period from 1st July, 1987 to 1st January] 1991, in the state?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): वांछित सूचना अनुलग्नक 'क' पर दी जाती है।

अनुलग्नक 'क'

क्रमांक मुख्य मंत्री के स्वैच्छिक कोटा से आंबटन की तिथि को अलाटियों के नाम तथा पते,

1. श्री एच० एस० चट्ठा, स्पीकर, हरियाणा विधान सभा।

2. श्री महा सिंह, एम0 एल0 ए0, चैयरमैन, हैफड, हरियाणा, चण्डीगढ़।

3. श्री लक्षमण दास, एम0 एल0 ए0 करनाल।

4. श्री नर सिंह ढांडा, एम0 एल0 ए0 चैयरमैन, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा।

5. श्री ब्रिज मोहन गृप्ता, एम0 एल0 ए0, जगाधरी।

6. श्री कृ ण सिंह सांगवान एम0 एल0 ए0, गोहाना, जिला सोनीपत।

7. श्री के0 वी0 सिंह, वि ेश कार्य अधिकारी, मुख्य मंत्री हरियाणा।

8. श्री रण सिंह मान, चैयरमैन, हरियाणा ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज।

9. श्री दुर्गा दत्त अतरी, एम0 एल0 ए0, राजौद, जिला जीन्द।

10. श्रीमती सुशमा स्वराज, खाद्यान्न एवं आपूर्ति मंत्री, हरियाणा।

11. श्री अनिल कुमार पुत्र मास्टर ि तव प्रसाद, एम0 एल0 ए0 अम्बाला भाहर।

12. श्री बी० एस० रावत, एम० एल० ए० हथीन ।
13. डा० कमला वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा ।
14. श्री सतबीर सिंह कादयान, एम० एल० ए०, नौलथा, जिला करनाल ।
15. श्री उदयभान एम० एल० ए०, हसनपुर, जिला फरीदाबाद ।
16. श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०, कलायत, जिला जींद
17. श्री ओमवीर पुत्र गनपर राम, गांव चौटाला, तह० डबवाली, जिला सिरसा ।
18. श्री आनन्द सिंह डांगी, चैयरमैन, एस० एस० एस०, बोर्ड, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
19. श्री कान्ति प्रकाश भल्ला, एम० एल० ए०, कालका (अम्बाला) ।
20. श्री मोहिन्द्र सिंह, मकान नं० 31, सैक्टर 8-ए, चण्डीगढ़ ।
21. मेजर जनरल के० एस० कोहली, जनरल आफिसर, कामांडिंग हैडक्वार्टरज पंजाब हरियाणा तथा हिमाचल (एरिया ऑफिसर) 171003 ।

22. श्री धर्मपाल डांगी पुत्र श्री अमी लाल, गांव तथा डाकखाना मदीना, जिला रोहतक।

23 श्री योगे । चन्द भार्मा, एम० एल० ए० बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)।

24. श्री अनिन कुमार पुत्र श्री भागमल, एम० एल० ए०, सढौरा, चैयरमैन, हरियाणा हैंडलूम कारपोरे ।न लि०।

25 श्री हरि सिंह, आरगेनाईजिंग सैकरेटरी, हरियाणा स्टेट लोकदल, जिला हिसार।

26 श्री जय प्रका ।, लोकदल प्रधान नज़दीक सदर पुलिस स्टे ।न, जीन्द।

27 श्री जान वी जार्ज, आई० पी० एस०, सी० आई० डी० स्पे ।ल ब्रांच, सी० आई० डी० हरियाणा।

28 श्री उदय सिंह दलाल, भूतपूर्व एम० एल० ए०, गांव व डाकखाना मंढौथी, जिला रोहतक।

29. श्री ओ० पी० भारद्वाज, पब्लिक वर्कस मिनिस्टर (बी० एण्ड आर०), हरियाणा, चण्डीगढ़

30 श्री कृ ण स्वरूप, एस० डी० एम० डबवाली, जिला हिसार।

31 श्री धर्मवीर, परिवहन मंत्री, हरियाणा, चण्डीगढ़।

32 श्री गया लाल भूतपूर्व एम0 एल0 ए0, होडल,
तहसील पलबल जिला फरीदाबाद।

Industrial units in the State

234. Comrade Harpal singh: Will the chief Minister be pleased to state the total number of industrial units registered at present in the State togetherwith the number of labourers working therein?

मुख्य मंत्री (श्री हुक्म सिंह):

1.	हरियाणा में 31.12.90 तक पंजीकृत बड़ी तथा मध्यम उद्योगिक इकाईयों की संख्या	446	
	इनमें काम कर रहे मजदूरों की संख्या	1.34	लाख व्यक्ति
2.	31.12.90 तक पंजीकृत लघु उद्योगिक इकाईयों की संख्या	96279	
	इनमें काम कर रहे मजदूरों की संख्या	5.77	लाख व्यक्ति

Regularisation of Un-authorized colonies at Rewari city

238. Cap. ajay singh yadav: Will the Minister of state for local Government be pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that there are unauthorised colonies in the Rewari City; and

(b) if so, Whether there is any proposal under consideration of the Government to approve the colonies as referred to in part (a) above, togetherwith the time be which these are likely to be approved?

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री कान्ति प्रकाश भल्ला):

(क) हां। रेवाड़ी भाहर में 9 अनाधिकृत कालोनियां है।

(ख) अभी तक इन कालोनियों को नियमिल करने हेतु नागरपालिका रेवाड़ी से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Amount spent out of cattle welfare fund

249. Shri Ran Singh Mann: Will the Minister of state for Animal Husbandry be pleased to state the yearwis and constituency-wise amount spent out of the cattle welfare fund during the period from march 1987 to-date.

पुपाल राज्य मंत्री (श्री कुलदीप सिंह मलिक):
पुपालन विभाग के पास पु कल्याण फण्ड का कोई प्रावधान नहीं है।

Outstanding Amount toward H.S.E.B.

250. Shri Ram Singh Mann: Will the minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether it is fact that any amount of rent and penalty of coal India Ltd.

(b) if so, the year-wise details of the said outstanding amount?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड तथा रेलवे को कोई पैनल्टी या किराया देय नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्र न उत्पन्न ही नहीं होता।

Water Table of Bhiwani and mohindergarh District

251. Shri Ran Singh Mann: Will the Minister for Irrigation and Power be Pleased to state:-

(a) Whether the Government is aware of the fact that the water table of district Bhiwani and Mohindergarh has gone down; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to raise the water table of the aforesaid districts ?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) इस क्षेत्र में नहरों से सिंचाई द्वारा विस्तृत रीचार्ज उपाए किये जा रहे हैं।

Land Compensation

252. Sh. Ram Singh Mann: Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state whether the compensation of land acquired for setting up 132 K.V. Power House at Jhajhu-Kalan in district Bhiwani has been paid; if so, the total amount of compensation paid so far?

गृह मंत्री (प्र० सम्पत सिंह): नहीं श्रीमान् जी।

Police Personnel in the State

261. Shri Jai Narain Khundia: Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of S.Ps, D.S.Ps, inspectors, S.H.Os, I.A.Ss, Head Constables and Constables in Police Department in the State at present togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes, separately; and

(b) whether there is still short-fall in the quota of the persons belonging to Schedules Castes and Backward Classes; if so, the details thereof?

गृह मंत्री (प्र० सम्पत सिंह): मांगी हुई सूचना निम्नलिखित है:—

(ए) पद	कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या	पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या
पुलिस अधीक्षक	54 (भा0 पु0 से) 16 (भा0 पु0 से0)	10 4	1 —
उप-पुलिस अधीक्षक	108	12	4
निरीक्षक	263	21	24
उप-निरीक्षक	824	62	73
स0 उप-निरीक्षक	1751	185	176
प्रधाप सिपाही	4705	581	397
सिपाही	20082	35	1895
पुलिस अधीक्षक	(भा0 पु0 से) (भा0 पु0 से)	2	4 1

उप-पुलिस अधीक्षक		9	6
निरीक्षक		31	2
उप-निरीक्षक		102	9
स० उप-निरीक्षक		165	—
प्रधाप सिपाही		360	73
सिपाही		421	113

वैसे अभी यह निर्णय लिया गया है कि सिपाही के स्तर पर अनुसूचित जातियो तथा पिछडे वर्ग के सदस्यो को अधिक संख्या मे ले कर धीरे-धीरे कमी को पूरा किया जाये ।

Construction of Roads

262. Shri Jai Narain Khundia: Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads:-

- (i) From Sudana to Kahanaur,
- (ii) From Sudana to Masudpur,

(iii) From Kalanaur to Kilanga via Saimpal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) (i) जी हां।

(ii) तथा (iii) जी नहीं।

(ख) (i) सुदाना से काहनौर तक की सडक का निर्माण 31-3-1992 तक पूरा होने की संभावना है।

(ii) तथा (iii) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Roads in District Rohtak

263. Shri ji Narain Khundia: Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state-

(a) the constituency-wise number of roads sanctioned for construction in District Rohtak during the period from 1987 to 1990; and

(b) the number of roads constructed out of that referred to in part (a) above?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) तथा (ख) जिला रोहतक के चुनाव क्षेत्रवार में स्वीकृत तथा बनाई गई सडको का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

कम संख्या	चुनाव क्षेत्र का नाम	स्वीकृत सडको की संख्या	पूरी की गई सडको की संख्या
1	हसनगढ	28	11
2	किलोई	6	—
3	रोहतक	—	—
4	महम	56	6
5	कलानौर	2	—
6	बेरी	2	—
7	साहलावास	2	—
8	झज्जर	4	1
9	बादली	7	2
10	बहादुरगढ	4	—
11	बडौदा	11	2
12	गोहाना	3	1

Bas Minor

264. Shri ji Narain Khundia: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether It is a fact that the Bass Minor is lying incomplete for the last 3 years;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to restart the construction work on Bass Minor; and

(c) if so, the time by which the aforesaid minor is likely to be completed?

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1991-92 में यदि धन उपलब्ध हुआ तो।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा

Shri Verender Singh: On a point of personal explanation, Sir,

Mr. Speaker: Alright.

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): आप पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन किस बात की दे रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं कहा।

(गोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री जी अपने आपको बहुत ही गिअर मान रहे हैं। मैं नहीं समझता था कि वह इस किस्म की बात कहेंगे। स्पीकर साहब, मंत्री जी ने तारांकित प्र न संख्या 1406 पर सप्लीमेंटरी का उत्तर देते हुए कहा कि बड़े बड़े आदमियों के बगैर यह काम नहीं हुआ करते। स्पीकर साहब, मुझे बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई है। मैं बहुत दिनों से इस इंतजार में था कि मैं अपनी बात कहूं, लेकिन आज मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है। स्पीकर साहब, मार्च, 1989 में जो पैसा आया वह कन्सन्ड मंत्री ने डिपार्टमेंट को नहीं दिया और न ही कन्सन्ड मंत्री दिया करता है। वह पैसा फाइनेंस मिनिस्टर से सीधा डिपार्टमेंट को जाया करता है और डिपार्टमेंट स्वयं उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है मंत्री का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। जहां तक सम्पत सिंह जी की इस बात का ताल्लुक है कि बड़े बड़े आदमियों के बगैर यह काम नहीं हो सकता था, स्पीकर साहब, ज्यों ही यह मामला अखबारों में छपा मैंने 29 अप्रैल, 1989 को सबसे पहले इस बारे में इन्कवायरी मार्क की थी और मैंने कहा था कि इन्कवायरी की रिपोर्ट तीन दिन के अन्दर अन्दर मुझे मिल जानी चाहिए। मेरे पास उस इन्कवायरी की रिपोर्ट आई। हालांकि वह रिपोर्ट सी0 एम0 साहब को दिखानी जरूरी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सी0 एम0 साहब को वह रिपोर्ट दिखाई। फिर उस मामले की इन्कवायरी के लिए विजिलेंस के आर्डर हुए। मैंने फिर इस बारे में 5 जून को इन्कवायरी मार्क की क्योंकि तब तक विजिलेंस की इन्कवायरी शुरू

नहीं हो पाई थी। मेरे पास इन्कवायरी की जो रिपोर्ट आई उस पर मैंने एक पान लिया और जो भी मैंने एक पान लिया उसकी फाईल चौधरी देवी लाल जी को दिखाई। उस पर उनके दस्तखत हैं। उसके पचात् 9-8-89 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। उस समय विजिलेंस के आई0 जी0 मि0 बाबा थे। उनको चार दिन के अन्दर अन्दर बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया वह भी मैं बताऊंगा। उस समय ऐक्सीयन लैवल तक के अफसरों के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई थी। उसके बाद फिर इन्कवायरी मार्क की गई। (विघ्न) उसके बाद एण्टी कर्प पान बोर्ड के सैक्रेटरी कंवर रणदीप सिंह से इन्कवायरी करवाई गई। उन्होंने अपनी इन्कवायरी में मेरे खिलाफ कुछ नहीं पाया। बाद में उन्होंने तंग आकर एक लैटर लिखा जो अखबारों में भी पब्लिश हुआ। उस लैटर की कापी इस समय मेरे पास मौजूद है। उन्होंने लैटर में लिखा कि फिजूल में वीरेन्द्र सिंह को बदनाम करने की खबरें छपी जा रही हैं और उन्होंने यह लिखा कि वीरेन्द्र सिंह एक ईमानदार आदमी हैं। यही तक नहीं उन्होंने प्राईम मिनिस्टर को भी लैटर लिखा कि वीरेन्द्र सिंह को जान बूझ कर बदनाम किया जा रहा है। यह सारा लैटर कंवर रणदीप सिंह का अखबारों में छपा है। (विघ्न) बाद में चौटाला साहब मुख्य मंत्री बन गए।

Mr. Speaker: Please wind up.

Shri Verender Singh: Sir, my character and integrity is involved and you have permitted me to speak on a personal explanation. मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो-चार मिनट

में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। स्पीकर साहब, उसके बाद विजिलेंस के आई० जी० श्री सेठी जी लगे और चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। चौटाला ने श्री सेठी को मेरे को फंसाने के लिए मजबूर किया कि किसी तरह मुझे किसी केस में फंसा दिया जाये और इस केस में मेरा नाम जोडा जाए, but he refused. उसके बाद फिर दो महीने के बाद उनको भी बदल दिया गया। बाद में मिस्टर विकास को डी० आई० जी० लगाया गया। चौटाला ने और सम्पत सिंह ने मुझे उनके जरिए फंसाना चाहा। उन्होंने भी ऐसा करने से इंकार कर दिया और उन्हें भी बदल दिया गया। फिर उस समय मैंने चैलेंज किया और अखबारों में स्टेटमेंट दी कि मेरे खिलाफ कोई केस हो तो उसकी इन्कवायरी करवाई जाए। इस केस को अब दो साल होने को चले है। अब यह केस चालान की स्टेज पर आ गया है। मैं फिर कहता हूं कि मेरे खिलाफ कोई ऐविडेंस हो तो उस पर ऐव इन लिया जाए और मेरे खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। अगर सम्पत सिंह जी में हिम्मत हो तो हाउस में ब्यान देने की बजाये हाउस से बाहर ब्यान दें। फिर मैं इनको बताउंगा कि गलत ब्यी करने से क्या हुआ करता है। ये मेर ऊपर फिजूल में ऐलीगे इन लगाते है। मैं फिर कहता हूं कि ये बाहर ब्यान दे फिर इनको पता चलेगा। (गोर)

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, श्री सम्पत सिंह ने इतने ओछेपन वाले ऐलीगे उन लगाने भुरु कर दिए है जिनके बारे में मैं सोच नहीं सकता था लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन पर ओछे ऐलीगे उन लगाना नहीं चाहता और इनकी तरह ओछेपन पर जाना नहीं चाहता। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूँ कि अगर आज भी कोई ऐविडेंस वीरेन्द्र सिंह के खिलाफ है तो अभी हाउस को छोड़ कर चला जाऊंगा। इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय से पूछ लिया जाए। यदि मेरे ऊपर कोई आरोम साबित हो जाए तो मैं अभी यहां से चला जाता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: वीरेन्द्र सिंह जी, आप तो अपनी बात कह चुके है। अब आप बैठिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अब चूंकि जीरो आवर भुरु हुआ है इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इससे पहले इन्होंने जो बात कही है उनका जवाब देने के लिए मुझे समय दिया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपने स्थान पर बैठिए और बारी बारी से अपनी बात कहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, ये जो चाहे करवा दे, बी० डी० गुपता पर गोलियां चलवा दें, इनकी कार को फुंकवा दे, ये लोगो की जान ले लें और हम लोग अपनी बात भी यहां पर ऐक्सप्लेन न कर सके, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

प्र० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये तो अपनी बात पहले ही कह चुके हैं। इन्हे सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। (विध्न एवं भाोर)

श्री राम बिलास भार्मा: आप तो लोगो की जान लीजिए। आप इस हरियाणा राज्य को कत्लगाह बना दीजिए, आप हरियाणा के * * * * * है। (विध्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: कसाई भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

Every-body except Shri B.D. Gupta should please take his seat.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह बात यही खत्म हो जानी चाहिए। हम इनके चैलेज को ऐक्सैप्ट करते हैं। हमस ब की इन्कवायरी करवाई जाए और इन सब की भी इन्कवायरी होनी चाहिए। (विध्न एवं भाोर)

Mr. Speaker: No interruptions please.

विभिन्न विशयो का उठाया जाना

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, अब मैं एक बहुत ही गम्भीर मसले की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली के अन्दर जो घटना श्री राजीव गांधी की कोठी पर सर्वेलेन्स करवाने की हुई है यह कोई साधारण बात नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर मसला है जिस ने सारे दे आ को और केन्द्रीय सरकार को झंकझोर कर रख दिया है। यह मामला सीधे ही हरियाणा से कन्सर्न रखता है। दो हवलदार और एक सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। क्या कोई आदमी इस बात पर बिलिव कर सकता है कि कोई हवलदार या सब-इंस्पेक्टर बिना किसी बड़े नेता के आदे आ के या बिना किसी बड़े अफसर के हुक्म के किसी जगह जा कर सर्वेलेन्स कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मामला है, इस का परिणाम क्या निकलेगा। यह मामला सीधे हरियाणा से संबंधित है। इसलिए इस बात की मैं मांग करता हूँ कि इस सदन के अन्दर इस मामले का माकूल जवाब आज ही दिया जाना चाहिए। यह कहना कि कालिंग अटैं इन मो इन एडमिट कर ली है इसलिए इस पर आज बहस नहीं हो सकती, उचित नहीं है। गृह मंत्री जी इस का माकूल जवाब आज ही दस सदन में दे या इस्तीफा दें दे। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: इस्तीफा तो हम नहीं देंगे। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, कल आपने 3 कालिंग अटैं इन मो इन सर्वेलेन्स के मामले संबंधी एडमिट की थी और विपक्ष की ओर से यह मांग आई थी कि चूंकि यह बहुत ही अर्जेन्ट

मामला है इसलिए इसका जवाब सरकार द्वारा आज ही दिया जाना चाहिए लेकिन आपने यह कहा है कि आने इसको परसो के लिए फिक्स किया है। हमने बार बार यह कहा और विशेष तौर पर मैंने यह कहा कि कोई फिल्डसे इनफर्मेशन नहीं आनी है बल्कि यह मामूली बात है और इसका जवाब होम मिनिस्टर या मुख्य मंत्री अभी दे सकते हैं, परन्तु नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप ये मोरान्ज कल के लिए रहने दिए जाए। इसके अलावा जो बात बड़ी औब्जैक्टिवनेबल है वह यह है कि विधान सभा का सेशन हो रहा है लेकिन बिना उसे बताए इस मामले का स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दे दिया। आज के अखबार में यह छपा है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। विधान सभा सेशन में हो और हमारे यहाँ पर वह मामला जेरेगौर हो लेकिन उसका जवाब सेंटर को दे दिया जाए यह ठीक बात नहीं लगती। हमें पहले जवाब न देकर गवर्नमेंट आफ इंडिया को जवाब देना, यह बिल्कुल पार्लियामेंट्री रिवायत के खिलाफ है। पहले इनको हमको कन्फर्म करना चाहिए था। विधान सभा के इस औगस्ट हाउस को पहले इन्फार्म करना चाहिए था। यही नहीं दो हैड कांस्टेबल और एक इन्स्पैक्टर को सस्पेंड भी किया गया है। एक और बड़ी जबरदस्त खबर छपी है जो बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबर है। वह यह है कि चौधरी हुकम सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बनसे बलि मांगी है। यह बात यह है कि उनको बरखास्त करने की कोशिश की जा रही है। उप प्रधान मंत्री जी की तरफ से यह ब्यान भी छपा है कि इसमें भजन लाल जी का हाथ है। भजन

लाल ने यह काम करवाया है। स्पीकर साहब, आप यह जानते होंगे और हमें भाक इस बात का पूरा है कि अगर चौधरी हुकम सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो इसके पीछे औम प्रकाश चौटाला का हाथ हो सकता है क्योंकि वह इनका हटाकर खुद मुख्य मंत्री बनना चाहता है। यह आडयंत्र उसी का रचा हुआ है। चौधरी हुकम सिंह की सरकार हो और चौधरी देवी लाल जी कोई काम के बारे में यह कहें कि चली भजन लाल जी की है, यह गलत बात है भजन लाल की नहीं चलती है। यहां पर तो हुकम सिंह का राज है और हुकम सिंह के राज में औम प्रकाश चौटाला की चलती है। यहां पर सारे गलत काम औम प्रकाश चौटाला के कहने पर किए जाते हैं। यह बड़ा ही सीरियस मैटर है। हमें यह भाक है कि इस मामले में हो सकता है मुख्य मंत्री जी जैसे भारीफ आदमी को भायद यह पता ही न हो और इसमें सम्पत सिंह तथा चौटाला शामिल हों। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर बकायदा इन्क्वायरी करवाएं और इसको डिस्मिस किया जाए, क्योंकि इसने सारे हरियाणा प्रान्त में तबाही मचा रखी है। (व्यवधान एवं भाोर)

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, ये काल अटैन्डान्स मोड के लिए आपने ऐडमिट किए हैं। हम पूरी जांच करवाकर इनका तफसील के साथ कल जवाब देंगे।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह सदन इस मामले में सारे हरियाणा की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है और

आप इस सदन को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, कृप्या आप मुझे भी बोलने के लिए इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष: महेन्द्र प्रताप जी हालांकि यह मामला आपकी पार्टी का है लेकिन सबसे पहले इस मामले में काल अटैं इन मो इन हीरा नन्द आर्य जी की तरफ से आया था। उस वक्त आप क्या सोचे हुए थे? अब आपको याद आ गया।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैं आपको बाद में सुनूंगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक व्यवस्था की बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी आप बैठिए।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और आपने यह अच्छा किया कि कल हमारी बात को स्वीकार कर लिया और उस पर 7-3-91 को चर्चा की अनुमति दे दी लेकिन स्पीकर साहब, यह सदन आज ही उस पर चर्चा करना चाहता है। क्योंकि कल के बाद एक नई स्थिती डिवैल्प हो गई है। यह तीन गरीब कांस्टेबल्ज का मामला है जिन को भेंट चढाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पिछले

दिनों से कुछ ऐसी वारदातें हो रही हैं कि कभी इस सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पर हमला हो रहा है और कभी विपक्ष के नेता के घर को जलाया जा रहा है। स्पीकर साहब, कल कामरेड हरपाल सिंह ने बताया था कि हरियाणा का गृह मंत्री सम्पत सिंह पंजाब के आतंकवादियों से तालमेल करके ए० के० 47 राईफल ले रहा है। इस बात के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। स्पीकर साहब, बात यहां तक पहुंच गई कि हरियाणा का एक भारीफ आदमी मुख्य मंत्री बन गया है उसको हटाने की साजिश चलाई जा रही है। कभी सम्पत सिंह का नाम आ रहा है और कभी जय प्रकाश का नाम आ रहा है कि ये लोग मुख्य मंत्री बनेंगे। ये लोग किसी को भी मुख्य मंत्री बनाएं। यह इनकी पार्टी का सवाल है। इनकी महत्वकांक्षा मुख्य मंत्री बनने की है तो इनकी इस महत्वकांक्षा को कौन रोक सकता है? जब चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था के पुलिस की भर्ती में सम्पत सिंह ने भ्रष्टाचार किया। (गौर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, एक आदमी के कारण हरियाणा की प्रतिष्ठा आंव पल लगी हुई है। हरियाणा की बदनामी हो रही है। मुख्य मंत्री बेचारे को पता ही नहीं है। उनके पीछे तो सी० आई० डी० लगी हुई है। हरियाणा की बदनामी हो रही है। जब सरकार ने रिपोर्ट सेंटर को भेज दी तो इस सदन में क्यों चर्चा नहीं हुई? अध्यक्ष महोदय, उन कांस्टेबलज का तो कोई कसूर नहीं है। मुख्य मंत्री को गृह मंत्री को फौरन डिसमिस करना चाहिए। जब हरियाणा की इज्जत दांव पर लगी हो तो इनको डिसमिस करने में देर नहीं करनी चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं किसी की भान में कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूँ जिससे किसी को नाराजगी हो और मैं तो अपाकी भान में तो कोई भाब्द कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर भुरु होते ही मैं खडा हुआ था। पता नहीं क्या कारण था कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया ओर मुझे छोडकर, मैं यह नहीं कहता कि मेरे साथियो को टाईम न दिया जाए, दूसरे को बुला लिया। लेकिन पहले खडा तो मैं हुआ था, मेरा बोलने का हक पहले था।

श्री अध्यक्ष: चार पांच आदमी जब खडे होकर बोलने लग जाए तो क्या किया जाए? That is not the wary. ऐसे हालात में किसको बोलने की इजाजत दी जाए, this is my discretion.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, कल के मामले के ऊपर, जिसके बारे में मेरे साथी ने एक मो उन आपकी सेवा मे दी, हरियाणा मे ही नहीं बल्कि सारे देा में रोश। यह ऐसा मामला है जिससे कि इस सदन का ही नहीं बल्कि हरियाणा की जनता का गौरव और मान दावं पर लगा हुआ है। स्पीकर साहब, इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। स्वयं प्रधान मंत्री ने जो इनकी पार्टी के ही है, ने कहा है कि यह भार्मनाक बात और यह बहुत ही गलत अपराध है। प्रधान मंत्री ने तो इस बारे में फैसला दे दिया। आपने इस मो उन पर डिस्कान के लिए तीसरे दिन का टाईम दिया है। किन कारणो से दिया यह आप भी जानते है और मैं भी जानता हूँ लेकिन आपका फैसला है इसएि हमस ब

को मानना ही पडेगा। स्पीकर साहब, मुझे खेद है कि जिना लम्बा टाईम सरकार लेगी उतना ही सरकार मैनुपुले न, मै तो मैनुपुले नही कहूंगा, करने में कामयाब होगी। एक दिन की छुट्टी या किसी चीज को देखने का बहाना करके जितना लम्बा समय सरकार लेगी और उसके बाद सरकार जो वक्तव्य देगी वह झुठ पर आधारित होगा। स्पीकर साहब, आज सवेरे जब अखबार देखा तो वह खद न जिसके बारे में कल मैने सदन को आ वस्त किया था, सच निकला। अध्यक्ष महोदय, यह बडा ही सीरियस मामला था। कल हमने आपकी बात मान ली थी हालांकि प्रोटैस्ट के तौर पर हमने वाक आउट भी किया था। अध्यक्ष महोदय, यह बडी भयानक परम्परा है। यह दे न के लिए प्रदे न के लिए बडी भयानक परम्परा है और बडा भयानक रुप धारण कर सकती है। स्पीकर साहब, इसके अन्दर से आगे अभी और बाते निकलेगी। आज इंडियन ऐक्सप्रेस में छपा है कि “Haryana denies sending C.I.D. staff.”

इससे वह खद न जो मैने कल जाहिर किया था ठीक निकला। स्पीकर साहब, यह मालूम हुआ है कि सी० आई० डी० का एक सिपाही नारनौल और दूसरा रोहतक का रहने वाला था। इन्होने कहा है कि वे दोनो ही छुट्टी पर थे और वे अपने किसी प्राइवेट काम से वहां गये होंगे। इन्होने साथ ही यह भी कह दिया कि हमने किसी को नही भेजा। अध्यक्ष महोदय, यह कितना बडा गलत ब्यान हो सकता है क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते है कि वहां पर कोई राजीव गांधी जी के लडके की सगाई तो नही

थी या फिर श्री चन्द्र भोखर जी का कोई फंक्शन नहीं था। उन दोनों को कोई प्रोमोशन का काम नहीं था कि राजीव जी की सिफारिश से या फिर चन्द्र भोखर जी के कहने पर मुख्यमंत्री जी उनकी प्रोमोशन कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह कितना झुठा बयान है। मुझे तो यह भी मालूम हुआ कि उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती रही। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सारे मामले को रिव्यू करें। अगर इस मामले में कोई ढील करेंगे तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। इससे हरियाणा सरकार की बदनामी हुई है और इन्होंने हाउस की परम्परा की भी अवमानना की है। जब हाउस को आपने आवसत कर दिया तो इन्होंने आपकी मान और मर्यादा को भी समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपकी मान मर्यादा खत्म हो गयी तो हमारी और इस प्रदेश की भी मान मर्यादा समाप्त हो गई। इतना होने पर फिर इनसे जवाब लेने की क्या जरूरत रह जाती है। इसलिए दोबारा मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि आप इस मामले को रिव्यू करें नहीं तो हमें भी मजबूरन कुछ सोचना पड़ेगा जबकि आज पार्लियामेंट बन्द है और सारी पार्टियाँ मिलकर इस बात का विरोध कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, यह राजीव जी का सवाल नहीं है, देवेंद्र जी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, यह हाउस में कार्यवाही तब आगे चलाई जाएगी या तो आप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री महोदय से पहले त्याग पत्र ले क्योंकि ये सारा काम उनकी व उच्च अधिकारियों की जानकारी के बिना कदापि नहीं हो सकता। (गौर एवं व्यवधान) यह सरकार की सरासर

नाअहलियत है। यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि यह कहती है कि हमें बिल्कुल इस सारे कांड का कुछ भी नहीं पता। सरकार कहती है कि यह तो हमारे आदे । ही नहीं है, इस बिनाह पर भी सरकार को यहां बैठे रहने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोई औचित्य नहीं है। ऐसी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, आज अखबारों में यह छपा है कि दिल्ली में हरियाणा सरकार का एक सी० आई० डी० का दफ्तर काम कर रहा है। इस तरह का इंटरैक्शन का काम सैन्ट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कोई सरकार और कोई स्टेट नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, यह कम कब से हो रहा है, किस के हुम से हो रहा है, इस पर कितने रुपये खर्च हो रहे हैं, वे दो आदमी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, इस बारे में सरकार कह रही है कि हें कोई ज्ञान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी कन्वैन्शन रही है कि जब हाउस चल रहा हो तो हाउस के बाहर कोई इम्पोर्टेंट इन्फर्मेशन नहीं जा सकती। मैं सरकार की पोजीशन को भली भांति समझता हूं। (गोर एवं व्यवधान) अगर केन्द्र सरकार कोई इन्फर्मेशन मांगती है तो हरियाणा सरकार उस इन्फर्मेशन का देने से इंकार नहीं कर सकती लेकिन उसका वाया-मीडिया तो हो ही सकता है। केन्द्र सरकार को सूचना देने के बाद तुरन्त यहां हाउस को बता देते ओर वह मामला यहा भी डिस्कस हो

जाता ताकि किसी को ऐतराज भी न होता। आज वहां पर ये इन्फर्मेनस भोज चुके हैं। कल इनहोने काल अटैन्स पर क्या कुछ कहना है, यह सब कुछ अखबारो में छप चुका है। यहां अब मनगढंत कहानी आएगी, जिसका कोई फायदा नहीं है। स्पीकर साहब, उन दो आदमियों में से एक हैडकांस्टेबल रोहतक का है और दूसरा नारनौल का रहने वाला है। वे दिल्ली क्यों गए थे और वे कहा पोस्टिड है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। किस के हुकम के साथ यह सब कुछ हुआ है यह भी अभी मालूम नहीं। एक मामूली इंसपैक्टर या सब-इंसपैक्टर इस किस्म का हुकम नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्री तो बड़े ही इंटेलीजेंट और कम्पीटैन्ट आदमी हैं। जरूर उनके हुकम से ही यह हुआ होगा। अगर उनके हुकम से नहीं हुआ, वे डिनाई करते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये। जैसा की अखबारो में छपा है कि चौधरी भजन लाल जी के कारण ऐसा हुआ है तब तो ये मोस्ट इन्कम्पीटैन्ट है, तब भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर मोस्ट इन्कम्पीटैन्ट हो तब भी अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे एक तीर से दो ठिकार करना चाहते हैं। एक तीर चलाकर वे श्री चन्द्र शेखर जी को समाप्त करना चाहते हैं और दूसरे से श्री हुकम सिंह जी को खत्म करना चाहते हैं ताकि अपना चहेता आदमी यहां पर बैठा दें। इस सिचुएशन को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में जो काल अटैन्स मोशन के नोटिस दिए गए हैं उनको खत्म कर दें और आज जो मैंने रूल 84के तहत मोशन दिया है उस पर आज ही डिस्कशन भुरु करवा दें ताकि कोई

रास्ता निकल सके। पूरा मुल्क इसमें इनवाल्ड है और मैं कहूंगा कि हरियाणा तो पहले ही बदनाम है इसकी और बदनामी नहीं होनी चाहिए। इस मामले की पूरी डिस्कान होनी चाहिए और मैं मांग करता हूँ कि होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, आज मुझे सब से ज्यादा खुशी है। जो कुछ दिल्ली में हुआ उसका सब से बड़ा भुगत भोगी मैं भी रहा हूँ। पिछले साल 15 मार्च को मैंने काफी तफसील से बताया था कि यहां की सी0 आई0 डी0 का काम हमें ठीक इसी तरह से चलता रहा है। पिछले साल मैंने बताया था कि एक डेढ़ साल से सारे एम0 एल0 एज0 और मिनिस्टरज की सर्वेलेंस होती थी। इतनी भार्मनाक कहानियां घटती हैं जिनका आप अन्दाजा नहीं लगा सकते। पिछले साल जब मैं चण्डीगढ़ वाली सरकारी कोठी में रहता था तो सैकड़ों दिनों में जब मैं घर से चलता था, सी0 आई0 डी0 की वैन मेरे पीछे पीछे रहती थी। रोजना यह तमा ठीक होता था। जब मैं यहां से चलता था तब भी पीछे रहती थी। अगर मैं हवाई जहाज पर जाता था तो एयर पोर्ट पर मुझे सी0 आई0 डी0 की गाडी रिसीव करने वाली थी। इसी तरह से जहां कहीं भी मैं दिल्ली में ठहरता था, सी0 आई0 डी0 की गाडी पीछे खडी रहती थी। जिस भी कोठी में मैं ठहरता था वहां चार, पांच और दस लोग मेरे साथ ठहरते थे तो इनके आदमी उस कोठी में चक्कर लगाते रहते थे सुबह से शाम तक। मेहम के बाई इलैकट्रिकान के दौरान जहां भी मैं ठहरता था वहां मैं

वर्कज की मीटिंग किया करता था। तो उस समय रोहतक और दिल्ली के सी० आई० डी० आफिस से इनकी तीन-तीन गाडियां जाया करती थी जो मेरे पीछे लगी रहती थी।

श्री अध्यक्ष: वे आपकी प्रोटैकान के लिए होंगी। (हंसी)

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, आपके लिए ऐसी बात कहना भाभा नहीं देती। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक भार्मनाक कहानी है। इस तरह से डेमोकसी का कत्ल करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे आज इसलिए खुशी है कि इन्होंने आज राजीव गांधी तक को पकड़ लिया है। यह किसी हरियाणा के एम० एल० ए०, मिनिस्टर यह और आदमी को नहीं बख्भाते हैं जो हमारे मेहमान होते हैं, या रिश्तेदार होते हैं ये उनका नाम नोट करते हैं और उनके पीछे रहते हैं। उसके बाद उनको इन्टैरोगेट करते हैं और फिर उनको विकटेमाइज करने की कोशिश करते हैं। यह प्रजातंत्र का कत्ल है। स्पीकर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दिल्ली में जो मामला घटा है इसको लाइटली ट्रीट न करके इस पर आज ही डिस्कान होनी चाहिए।

11:00 बजे

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी गम्भीरता का विशय है कि किस प्रकार से राजनीतिक लोगो का सी० आई० डी० पीछा करती है। यह तो बड़े आदमी का मामला था इसलिए उनकी कोठी पर हरियाणा की सी० आई० डी० वाले दोनो

मुलाजिम पकडे गए वरना यदि हमारे जैसा कोई विधायक होता तो वह नहीं पकडे जाते। हम लोगो के पीछे हर दम सी० आई० डी० लगी रहती है। जिस तरह से चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि ड्रेनेज डिपार्टमेंट ` जो घोटाला हुआ वह बडे बडे आदमियो के बगैर नहीं हो सकता था उसी प्रकार से यहां पर भी वही बात धटित होती है कि बडे बडे राजनीतिक लोगो की कोठियो पर सी० आई० डी० करने का काम सी० आई० डी० का कांस्टेबल, हैड-कांस्टेबल और इन्सपैक्टर अपने आप नहीं कर सकता उसके लिए भी किसी बडे अधिकारी का आर्डर हो सकता है यानि श्री राजीव गांधी की कोठी पर सी० आई० डी० करवाने में किसी बडे आदमी का हाथ हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा प्रदे 1 के मुख्य मंत्री बहुत भले आदमी है। इनके भोलेपर का मतलब यह नहीं कि इनको इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर इनको इस बारे में जानकारी है तो यह उसके लिए जिम्मेदार है और यदि इनको जानकारी नहीं है तो यह अयोग्य है। स्पीकर साहब, इन दोनो बातो में से यह कौन से आदमी है इस बारे में या तो ये स्वयं फैसला कर ले या आप इस बारे में फैसला करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारि 1 करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र पर लगातार हमले होते आ रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए। (गोर एवं व्यवधान)

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हो गए)

श्री अध्यक्ष: चौधरी सतबीर सिंह कादियान ।

चौधरी सतबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, हरियाणा विधान सभा में कुछ ऐसे विधायक हैं जब तक वे मंत्री के पद पर रहते हैं तब तक तो ठीक है और जब सरकार से बाहर हो जाते हैं, उसी सरकार का क्विटीसिज्म करने लग जाते हैं। इन्डायरैक्ट रूप में हस्तक्षेप करते हैं। श्री राम बिलास भार्मा ने श्री लखमन सिंह कम्बोज के बारे में कहा कि उसने जब कोई जुर्म किया है तो उसको तीन घंटे के अन्दर पकड़ लिया गया। (तोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, अब ये सारे बौखला गए हैं। यदि किसी सदस्य को सुरक्षा की जाए तो कहते हैं कि हमारे पीछे सी० आई० डी० लगा रखी है, पुलिस हमें तंग करती है। यदि कोई घटना घट जाए तो कहते हैं कि सरकार हमारी रक्षा नहीं करती। हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसी बात करते हैं?

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष: आर्य जी आप सभी मेरी एक बात सुन लें। यह असैम्बली है। आपके लीडर बोल चुके, आपके डिप्टी लीडर बोल चुके और तीसरे आप खुद बोल चुके हैं अब चौथा, उसके बाद पांचवा इस तरह से क्या आप 13 के 13 बोलना चाहे हो? जब एक डू पर आपका लीडर बोल चुकक, आपका डिप्टी लीडर बोल चुका और आप स्वयं भी बोल चुके हैं तो कम से कम कुछ प्रथा

तो कायम रखो। अपने आप ही आप कुछ सोचो। (तोर एवं व्यवधान) आप सब बैठे और कैप्टन अजय सिंह यादव को बोलने दें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। सब से पहली बात तो यह है कि कल इस सरकार ने सदन को गुमराह किया और यहाँ यह कहा कि इस पर डिस्कान कल होगी लेकिन इन लोगों ने उसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले ही भेज दी। यह सदन का बड़ा भारी अपमान है। इस सरकार ने इतना गैरजिम्मेदाराना काम करके लोकतंत्र की हत्या की है। किस तरीके से यह सरकार श्री राजीव गांधी जैसे नेता के खिलाफ इस प्रकार के षडयंत्र रचती है य बात सामने आई है। स्पीकर साहब, इन्होंने कल सदन को गुमराह किया था। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, यह बात आपने भी कह दी है और आपके लीडर ने भी कह दी है। क्या अब आपने फिर वही टेप लगानी है। आपके लीडर ने जो बात की वह मैंने सुन ली। जिस जिस पार्टी के लीडर और डिप्टी लीडर बोले हैं उनकी सारी बातें मैंने सुन ली हैं। लीडर आफ दि अपोजिशन बोल चुके, बी० जे० पी० के डिप्टी लीडर बोल चुके और चौधरी महेन्द्र प्रताप बोल चुके। अब आप वही बोल रहे हैं। इसलिए आप कृपया बैठे आपका नाम अखबारों में आ जाएगा (तोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, इस सरकार ने कल सदनको गुमराह किया था और मुख्य मंत्री महोदय को नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Everybody please listen. It does not look nice to make a noise like that. Please take your seat and let the business of the House proceed further.

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, इस सरकार ने कल सदन को गुमराह किया था। इस सरकार ने यह कहाथा कि इस पर डिस्कान कल होगी। इस सरकार ने इस हाउस का बहुत अपमान किया है। जो डिस्कान कल होनी थी उसकी रिपोर्ट इस सरकार ने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी। यह काम करके इस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। आप हमें उस सदन के बारे में आज ही डिस्कान करने की परमिशन दें। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Captain Sahib, this is not the way. Please take your seat. (noise & interruptions)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, यह सरकार श्री राजीव गांधी जैसे नेता के खिलाफ किस प्रकार आडयंत्र रचती है, उस मामले के बारे में आज ही यहां डिस्कान होनी चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I am very sorry to say that I cannot take up that matter today. (Noise & Interruptions)

Shri Verender Singh: What is the hitch in discussing the matter today?

Mr. Speaker: For that I have already fixed the 7th March 1991. Now please allow me to proceed further.

Shri Suraj Bhan: Sir, we want discussion on the motion under Rule 84 immediately and not tomorrow.

Mr. Speaker: That is under consideration. Please sit down. (Interruptions & Noise)

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यहां कहा जाता है कि हमारी पुलिस बहुत कम्पीटेन्ट है और मुलजिमो को बहुत जल्दी पकड लेती है। मै इनसे पूछना चाहता हूं कि मेहम कांड में भी कुछ लोगो के नाम भामिल है क्या उन लोगो को पुलिस ने पकडा है? श्री डी० डी० अत्री जीके बारे में जो प्रिविलेज मोान था वह परसो ही खत्म हुआ है और उस मोान में जो डी० एस० पी० इनवोल्वड थे और जो अब एस० पी० हो गए है वे श्री अत्री साहब के पास गए और कहा कि आपका इलाका पंजाब के साथ लगता है और हो सकता है कि आपके पास उग्रवादी आ जाएं इसलिए आप अपनी सुरक्षा का प्रबंध रखना। श्री अत्री जी ने कहा कि आपने तो मेरे गनमैन वापिस ले लिए है अगर आप मेरी जान का खतरा समझ रहे है तो मुझे सुरक्षा प्रदान करे। इस पर एस० पी० ने कहा कि मेरे पास कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है इसलिए मै आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब तक एम० एल० ए० की सुरक्षा नहीं हो सकती तो एक

साधारण आदमी की सुरक्षा कैसे हो सकती है? इससे तो साफ जाहिर है कि अत्री साहब की जान को खतरा है। इतना ही नहीं वह एस० पी० अत्री साहब को धमकी देकर गया है। (गोर एवं व्यवधान) उस एस० पी० ने इनके गनमैन भी वापिस ले लिए हैं। (गोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं चाहूंगा कि अत्री साहब की बात सुन ली जाए।

Mr. Speaker: Comrade Sahib, please take your seat.

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, आप मुझे भी बोलने का मौका दें।

Mr. Speaker I am sorry, I would not permit any body on this now. (Interruptons). Zero Hour is over.

श्री रतन लाल कटारिया जी का एक काल अटैंटन मोशन डीजन ओर पेट्रोल की भार्टेज के बारे थी। उसका गवर्नमेंट की तरफ से आज जवाब दिया जाना है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, रूल 84 के मेरे मोशन पर अभी डिस्कशन होनी चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Chaudhary Sahib, I have just received it. I have already told you that it is under consideration. Please take your seat. The Hon'ble Chief Minister wants to say something.

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मेरी बात भी सुनी जाये। (गार एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मेरी परमि तन के बगैर जो बोला जाए वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: * * * * *

श्री दुर्गा दत्त अत्री: ** ** ** ** **

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: * * * * *

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मेरे साथ बहुत ज्यादाती हो रही है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Attri Ji, when the leader of the House wants to say something, how can I permit you? (Interruptions).

मुख्य मंत्री(श्री हुक्म सिंह): स्पीकर साहब, सी० आई० डी० के मामले को लेकर अभी कई साथियो ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मै इस्तीफा दे दूँ या होम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें। मै इस मामले का आज कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। मै जवाब तो कल ही दूँगा। मै केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सी० आई० डी० का महकमा मेरे पास है इसलिए मै सदन को वि वास दिलाता हूँ कि मैने किसी सी० आई० डी० के आदमी को श्री राजीव गांधी के घर की सी० आई० डी० करने के लिए

नहीं भेजा। वह कैसे चला गया, यह मैं नहीं कह सकता। फिर भी मैंने इसकी जांच के आदेश कल दे दिए हैं। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Everybody to please take his seat.

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: मुख्य मंत्री जी, आप तो भले आदमी हैं। आपको मैं कुछ नहीं कह रहा। (गोर) मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वे आपने वहाँ पर चले गए? क्या वे पिकनिक पर गए थे या वे किसी की भाँदी में गए थे? इसका आप जवाब दें कि वे वहाँ पर कैसे पहुँचें? (गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Mohinder Partap Ji, please take your seat.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, यदि ऐसे इनकम्पीटेंट सी० एम० होंगे तो फिर प्रशासन कैसे चलेगा और पुलिस में अनुशासन कैसे रहेगा? (गोर एवं व्यवधान)

श्री हुकम सिंह: यह प्रजातंत्र है। आप लोगों ने हमें नहीं बनाया। लोगों की वोटों से बन कर आए हैं। योग्य हैं तो भी रहेंगे और अयोग्य हैं तो भी रहेंगे। यह कुर्सी किसी की जागीर नहीं है। हम में से कोई रिजाईन नहीं देगा। न मैं इस्तीफा दूँगा और न होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। जहाँ तक भारत सरकार को सूचना भेजने की बात है वह तो जो सूचना उन्होंने माँगी थी लेकिन अखबारों में जो खबर छपी है वह हमने नहीं दी। अगर अखबार

वाले अपनी तरफ से कोई खबर छाप देते है तो इसमें हम क्या कर सकते है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, मै अपनी मो गोर के बारे में रूल 84 पढता हूं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब मैने रूल 84 भी पढा है।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, फिर भी मै आपको रूल 84 पढ कर सुना देता हू। इसमें लिखा है—

“but the Assembly shall proceed to discuss such matters immediately after the mover has concluded his speech.”

इसमें वर्ड इमिजियेटली लिखा है। इसके अलावा स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि महकमा मेरे पास है, लेकिन अखबार में छपा है कि हुक्म भजन लाल का चलता है इसलिए भी इस मामले में इमिजियेटली डिस्क गोर होनी चाहिए।

Mr Speaker: Please take your seat. I am considering it. I received it at 10:15 a.m. From that time I am sitting in the House and you please tell me, how can I allow discussion on it right now. Would you please give me half an hour?

Shri Suraj Bhan: Sir it has to be decided immediately. वरना इमिडियेटली का मतलब क्या है?

श्री अध्यक्ष: वह इन आर्डर है या नही, I have to examine.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में अब झूठी कहानी गढी जाएगी। झूठी कहानी घड कर जवाब बनाया जा रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मामले पर फौरी तौर से जवाब दिया जाए और हम आज ही जवाब ले कर रहेंगे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब बना कर भेजा गया है तो जवाब सदन को क्यों नहीं दिया जा सकता? जो जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया है वह भी सदन के सामने रखा जाए और आज ही हमें जवाब दिया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have fixed tomorrow for taking up this matter. I would not permit it today. I would permit it tomorrow only.

बैठक का स्थगन

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह मामला बहुत ही गम्भीर है और अर्जेंट नेचर का है इसलिए इस पर आज ही जवाब दिया जाना चाहिए और इस पर आज ही डिस्कान होनी चाहिए। गृहमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है इसलिए उन्हें कटघरे में खड़े होना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान) जो आदमी हरियाणा की बदनामी के लिए जिम्मेदार है उसे इस सदन में जवाब देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम जवाब आज ही ले कर रहेंगे। (गोर एवं व्यवधान) यह 100 यह 200 आदमियों का झगडा नहीं है बल्कि सारा प्रदेश आओर दे आइससे संबंधित है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप संघ बैठे और हाउस की कार्यवाही को चलने दें। जो इस बारे में मेरी इजाजत के बगैर बोला जाएगा, वह रिकार्ड नहीं होगा।

(इस समय बहुत से सदस्य अध्यक्ष की परमिशन के बिना बोलते रहे तो रिकार्ड नहीं किया गया) (गौर एवं व्यवधान)

11:12 बजे

श्री अध्यक्ष: हाउस इस तरह से नहीं चल सकता। इसलिए हाउस 11:45 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन स्थगित हुआ और 11:45 बजे दुबारा बैठक हुई)

बैठक का पुनर्स्थापन

Mr. Speaker: Now the Food & Supplied Minister will make a statement on the calling attention motions No. 6 & 9 (bracketed with No. 6) given notice by Sarvshri Rattan Lal Kataria and Hira Nand Arya, M.L.As, respectively, regarding shortage of diesel and petrol in the State, which has been admitted on the 4th March, 1991 and the statement was promised to be made today.

(इस समय विपक्ष के सभी सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

Mr. Speaker: Please take your seat. Shri Verender Singh.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, पहले हमारे प्रस्ताव के बारे में बताये। चौधरी सूरज भान जी ने रूल 84 के तहत मो न दिया है ओर प्रार्थना की है कि कल वाली काल अटैं न मो ंज को मो न अंडर रूल 84 में कन्वर्ट करके उस पर आज ही इम्मीलियेटली डिस्क न की जाये।

Mr. Speaker: I am very sorry. I cannot take up the matter today. Please take your seat and let the House proceed.

Shri Verender Singh: Sir what is the hitch? it is a very urgent matter. We want discussion on this urgent motion today. (Noise & interruptions).

Mr. Speaker: I have fixed tomorrow for discussion with regard to this matter. (Noise & Interruptions).

Shri Verender Singh: Why not today? (Noise & Interruptions). इसमे वर्ड इम्मीजेटली लिखा हुआ है।

Mr. Speaker: I have already told you that the motion under Rul 84 is under consideration. I cannot take up the calling attention motions on the subject today. They have already been fixed for tomorrow. So please take your seat and let the business of the House proceed.

(At this stage several members started speaking without permission).

Mr. Speaker: if you have decided not to allow the House to proceed, then it is a different matter. I would again

request you to please take your seat and allow the business of the House to proceed.

Shri Suraj Bhan: We want only discussion on the motion under Rule 84 today.

Mr. Speaker: That is still under my consideration. Please sit down. Whatever is said without my permission will not be recorded.

(At this stage all members from Opposition Benches rose in their seats and started speaking without permission which was not recorded.)

Mr. Speaker: Please listen.

Voices: No, no.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यहां पर हाउस के अन्दर डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) आये हुए है। यह किस की परमि तन से आये है। यहां पर हाउस को मिसलीड किया जा रहा है। हाउस को भी सी० आई० डी० की जा रही है। (व्यवधान एवं भाोर)

(At this stage the members from the Opposition again started speaking without permission and stated that they would not allow the business to proceed unless discussion on the motion under Rule 84 was allowed immediately).

Mr. Speaker: I would once again request the Hon' Members to please resume their seats and let the business proceed.

Voices: from the Opposition Bencehs: No. no.

श्री अध्यक्ष: मै हाउस कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए ऐडजर्न करता हूँ।

11:47 बजे

(तत्प चात् सदन वीरवार, दिनांक 7-3-1991 प्रातः 9:30 बजे तक स्थगित हुआ।)